

## अध्याय—4

### निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन-देन लेखापरीक्षा

#### 4.1 दिल्ली राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचनात्मक विकास निगम की निष्पादन लेखापरीक्षा

##### विशिष्टताएँ

दिल्ली राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचनात्मक विकास निगम लिमिटेड राज्य में औद्योगिक तथा अवसंरचनात्मक विकास में कार्यरत है। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:

कम्पनी के पास अपने औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्लाटों के 14906 आर्बटियों से प्राप्ति योग्य ₹ 99.67 करोड़ के भूतल किराये बकाया थे।

**(पैराग्राफ 4.1.4)**

जैसा कि इस सरकार के उद्देश्य कि जहाँ कहीं भी सीवर लाईनें और जल लाईनें डाल दी गई हैं केवल वहीं कंक्रीट की सड़क बनाई जाए, के विपरीत बिना यह सुनिश्चित किए कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर लाईन तथा जललाईन बिछाई गई हैं कम्पनी ने ₹ 206.96 करोड़ मूल्य की सीमेंट कंक्रीट की सड़क बना दी।

**(पैराग्राफ 4.1.5.1)**

विभिन्न परियोजनाओं के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति में अनियमितताओं को नोटिस किया गया। के.लो.नि.वि. निर्माण नियमाली के प्रावधानों की गैर-अनुपालना को संरचनात्मक ड्राईंग्स, अनुमोदित ले-आउट प्लान, परियोजनाओं के लिए समापन अवधि का नियत किया जाना, कार्यों का सौंपा जाना, बोलियों की औचित्य दरों को बनाए जाने तथा तकनीकी मूल्यांकन के संबंध में भी देखा गया।

**(पैराग्राफ 4.1.4.1, 4.1.6.1, 4.1.6.2, 4.1.6.3 4.1.7.2, 4.1.9.1. 4.1.11)**

जैसा कि कम्पनी ने मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के प्रावधानों के विरुद्ध जी+2 तथा जी+3 संरचना की आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जबकि जी+3 तथा जी+4 संरचना की आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जा सकता था, इसलिए वह अतिरिक्त 3720 निम्न दर वाले आवास को बनाने के सुअवसर से वंचित हो गई।

**(पैराग्राफ 4.1.7.1)**

यू.ओ.एम.टी. आधार पर नरेला औद्योगिक एस्टेट पी.पी.पी. के वार्षिकी के लिए गलत प्रक्षेपण के कारण भविष्य में 2013-14 से 2028-29 की 15 वर्षों की अवधि के दौरान ₹ 91.50 करोड़ के बर्हिगमन का परिहार्य होगा।

**(पैराग्राफ 4.1.12)**

#### 4.1.1 प्रस्तावना

दिल्ली राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (दि.रा.ओौ.अव.वि.नि.) राज्य में औद्योगिक तथा अवसंरचनात्मक विकास में कार्यरत है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन कार्य करता है, दि.रा.ओौ.अव.वि.नि.लि. का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में सभी प्रकार के उद्योगों तथा औद्योगिक क्षेत्रों की उन्नति, विकास तथा उनका अनुरक्षण करना, लघु पैमाने के उद्योगों के लिए सभी प्रकार के उपभोक्ता माल तथा वाणिज्य व उनकी बाजारी सुविधाओं को प्रदान करने तथा लेने का कार्य करना है।

दि.रा.ओौ.अव.वि.नि. का प्रबन्धन आठ निदेशकों के अन्तर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निहित होता है। दिन प्रतिदिन इसके कार्य संचालन का प्रबन्धन अध्यक्ष-सह-प्रबन्धन निदेशक के द्वारा, एक कार्यकारी निदेशक तथा अधिकारियों की एक टीम की सहायता से किया जाता है।

यद्यपि, दि.रा.ओौ.अव.वि.नि. का मुख्य कार्य दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना था, यह कम्पनी शराब की खुदरा बिक्री, दिल्ली एम्पोरियम को चलाना तथा प्रदर्शनियों का संचालन इत्यादि में भी कार्यरत है। दिल्ली औद्योगिक विकास संचालन तथा अनुरक्षण 2010 (ओ. एण्ड एम. अधिनियम) के पश्चात् दि.रा.ओौ.अव.वि.नि. के क्रियाकलापों का कार्यक्षेत्र दिल्ली में सभी औद्योगिक क्षेत्रों औद्योगिक एस्टेट तथा समतल फैक्ट्री परिसरों तक उनके संचालन तथा अनुरक्षण के साथ इन उद्योगों की क्रमिक संगठनात्मक तथा स्थापना को सुनिश्चित व सहायता करने के उद्देश्य तक विस्तारित हो गया था।

मई 2011 से पहले, दि.रा.ओौ.अव.वि.नि. ने 21 डिविजनों<sup>1</sup> द्वारा अपने क्रियाकलापों का निर्वाह किया। विशेष क्रियाकलापों के संचालन के प्रबंध को ध्यान में रखते हुए दि.रा.ओौ.अव.वि.नि. ने (मई 2011) पूरी तरह से सहायता प्राप्त चार कम्पनियों को सृजित किया जिनके नाम हैं- (i) दि.रा.ओौ.अव.वि.नि. लिक्वर लिमिटेड (दि.लि.लि.) को उनके शराब के व्यापार के लिए (ii) दि.रा.ओौ.अव.वि.नि. एविजम लिमिटेड (दि.ए.लि.) को उनके आयात / निर्यात व्यापार तथा वस्तुप्रक प्रबन्धन के लिए (iii) दि.रा.ओौ.अव.वि.नि. अनुरक्षण सेवायें लिमिटेड (डी.एम.एस.एल.) का उनकी रियल एस्टेट व्यापार से सम्बन्धित अनुरक्षण सेवाओं, लॉजिस्टिक्स तथा योजना क्रियाकलापों का संचालन करना (iv) दि.रा.ओौ.अव.वि.नि. एनर्जी लिमिटेड (डी.ई.एल.) अपने एनर्जी परियोजनाओं के लिए।

##### 4.1.1.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विस्तृत लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह निर्धारित करने के लिए थे कि क्या दि.रा.ओौ.अव.वि.नि. तथा इसकी सहायक कंपनियों में:

- वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय तथा बजटीय नियंत्रण था;
- इसके उद्देश्यों को दक्षतापूर्वक, प्रभावशाली तथा मितव्ययिता से प्राप्त करने के लिए उनकी अधिदेशित क्रियाकलापों का पालन किया था;
- पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध थे; और
- कार्यकुशल आंतरिक नियंत्रण तथा कार्यप्रणाली की निगरानी विद्यमान थी।

<sup>1</sup> 1. मार्किटिंग 2. निर्यात तथा आयात 3. पुर्नगठन 4. एम्पोरियम 5. प्रर्वशनी 6. समुदाय कार्य केन्द्र 7. नरेला आबंटन कक्ष 8. वसूली 9. कच्चा माल 10. औद्योगिक एस्टेट प्रबन्धन 11. निम्न दर आवास 12. निर्माण 13. गुणवता प्रबन्धन पद्धति 14. शहरी शराब 15. भारतीय निर्मित विदेशी शराब 16. दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम 17. ओवरसीज जन शक्ति व्योरे 18. तकनीकी परामर्श कार्यालय 19. औद्योगिक एस्टेट प्रबन्धन 20. खनिज 21 बहिस्त्राव संयंत्र

#### **4.1.1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली**

दि.रा.ओ.अव.वि.नि. की अप्रैल से सितम्बर 2013 के दौरान संचालित की गई, निष्पादन लेखापरीक्षा 2008-13 की अवधि को आच्छादित करती है। लेखापरीक्षा ने कार्य को नियंत्रित करते हुए 21 डिविजनों में से 8 डिविजनों को जांच पड़ताल के लिए चयनित किया। इसके अतिरिक्त, दो सहायता प्राप्त कम्पनियों (डी.एम.एस.एल. तथा डी.एल.एच.) की परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय जैवलरी संस्थान के अभिलेखों की छानबीन का कार्य भी प्रारम्भ किया।

लेखा परीक्षा अभियुक्तियों, क्षेत्र, कार्यप्रणाली तथा मानदण्डों पर विचार करने के लिए प्रबन्धन के साथ प्रवेश सम्मेलन का आयोजन (जून 2013) किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सरकार तथा प्रबन्धन के पास उनके विचार जानने के लिए जारी किया गया। प्रारूप लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर विचार करने के लिए प्रबन्धन के साथ एक समाप्ति सम्मेलन का आयोजन (फरवरी 2014) किया गया जिसमें अध्यक्ष-कम-प्रबन्ध निदेशक भी उपस्थित थे। कंपनी ने लेखापरीक्षा उपलब्धियों का उत्तर दिया (जनवरी 2014) प्रबन्धन द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को इस निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखा जाएगा।

#### **4.1.1.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड**

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्न से बनाए गए:

- दिल्ली औद्योगिक विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण अधिनियम, 2010;
- मुख्य सतर्कता आयुक्त, (मु.स.आ.), राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका तथा निर्देश;
- दिल्ली का मास्टर प्लान तथा के.लो.नि.वि. निर्माण मैनुअल, तथा
- बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यसूची नोट तथा प्रस्ताव तथा कार्य सलाहकार बोर्ड

#### **लेखा परीक्षा प्राप्तियाँ**

#### **4.1.2 वित्तीय प्रबन्धन**

वर्ष 2008-13 की अवधि के लिए कम्पनी के प्रचालनों के वित्तीय परिणामों को अनुलग्नक **4.1** तथा **4.2** में दिया गया है। 2008-13 की अवधि के लिए दि.रा.ओ.अव.वि.नि. के प्रमुख वित्तीय पैरामीटरों, नामतः आरक्षित तथा आधिक्य, कुल आय तथा लाभ की स्थिति को नीचे **तालिका 4.1** में दिया गया है:

**तालिका 4.1  
वित्तीय प्रबन्धन**  
(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरक्षित तथा आधिक्य <sup>3</sup>	टर्नओवर	कुल आय	कर के पश्चात लाभ
2008-09	47.65	1,428.68	1,426.32	7.93
2009-10	78.54	1,112.58	1,159.12	31.08
2010-11	1,375.41	906.50	1,081.81	117.43
2011-12	1,286.31	1,323.17	1,569.60	184.63
2012-13	1,497.88	1,452.42	1,656.79	157.78

<sup>1</sup> 1.पुनर्गठन 2. एम्पोरियम 3. समुदाय कार्य केन्द्र 4. निम्न दर अवास 5. निर्माण 6. शहरी शराब 7. भारत निर्मित विदेशी शराब 8. औद्योगिक राज्य प्रबन्धन

<sup>3</sup> संचित आंकड़ा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि

- कम्पनी के टर्नओवर में दो मुख्य घटक सम्मिलित थे- शराब एवं फ्लैट्स की बिक्री से आय तथा सरकार के जमा निर्माण कार्य तथा परियोजना निर्माण कार्य। 2008-09 में ₹ 1,428.68 करोड़ की जो टर्नओवर थी वह 2010-11 में ₹ 906.50 करोड़ हो गई तथा पुनः वर्ष 2012-13 के लिए बढ़ कर ₹ 1,452.42 करोड़ हो गई।
- 2008-09 में ₹ 7.93 करोड़ के कर के पश्चात लाभ बढ़कर 2011-12 में ₹ 184.63 करोड़ तक हो गया तथा 2012-13 में ₹ 157.78 करोड़ था। लाभ में वृद्धि का कारण प्रचालन अनुरक्षण आरक्षित निधि (ओ.एम.आर.एफ) में लाभकारी वृद्धि होना है जो कि बैंकों में सावधि जमा किए गए शराब की बढ़ी हुई बिक्री, फ्लैट्स तथा ब्याज आय के अतिरिक्त राशि छोड़कर ₹ 10.60 करोड़ (2010-11) ₹ 63.11 करोड़ (2011-12) एवं ₹ 61.97 करोड़ (2012-13) का योगदान किया था।

#### 4.1.2.1 दि.रा.औ.अव.वि.नि. के कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट के प्रचालन में ₹ 3.07 करोड़ की हानि

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.म.नि.सं.) ने दि.रा.औ.अव.वि.नि. को कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के अनुच्छेद 79 के अधीन स्वयं का कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट सम्पोषित करने की छूट (1972) प्रदान की थी। हालांकि, क.भ.नि. संगठन ने (24 फरवरी 2011) को नियमों की गैर-अनुपालना का हवाला देकर दी गई छूट को वापिस ले लिया। दि.रा.औ.अव.वि.नि. कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट को गैर-छूट प्राप्त संगठन घोषित करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दि.रा.औ.अव.वि.नि. को ट्रस्ट के समस्त भविष्य निधि संचयनों को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (क्षे.भ.नि.आ.) के पास स्थानान्तरित करने का निर्देश दिया था परन्तु इसे स्थानान्तरित नहीं किया गया था। ट्रस्ट ने यद्यपि अपने सभी प्रचालनों को बन्द कर दिया था और समस्त बकायों को बचत बैंक खातों में स्थानान्तरित कर दिया। तथापि, यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा घोषित सांविधिक दरों पर सदस्य कर्मचारियों को ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य था। इसके अतिरिक्त, इसकी स्वयं की निधियां भी कर्मचारियों को उनके भविष्य निधियों के विरुद्ध प्रदत्त ऋणों एवं अग्रिमों के रूप में अवरुद्ध हो गई थी। दो वर्षों के अन्तराल के पश्चात दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने आवेदित किया (अप्रैल 2013) था तथा उसे कर्मचारी भविष्य निधि की धारा 17 एवं विधियां प्रावधान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत छूट प्रदान (नवम्बर 2013) की गई थी। छूट के लिए आवेदन करने में दो वर्षों तक अन्तराल होने के कारण छूट प्राप्त करने में देरी हुई और दि.रा.औ.अव.वि.नि. को भविष्य निधि ट्रस्ट के ₹ 0.98 करोड़ की हानि (2011-12 के लिए ₹ 0.24 करोड़ एवं 2012-13 के लिए ₹ 0.74 करोड़) की क्षतिपूर्ति करनी पड़ी।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि दि.रा.औ.अव.वि.नि. कर्मचारी भविष्य निधि ने उ.प्र. राज्य सरकार द्वारा दी गई गारन्टी के अधीन, ₹ 2.21 करोड़ मूल्य की परिपक्व राशि के साथ 1999 से 2005 की अवधि के दौरान उ.प्र. सरकार की छ: कम्पनियों में ₹ 1.27 करोड़ निवेश किया था। ट्रस्ट ने केवल ₹ 0.56 करोड़ मूल्य की परिपक्व राशि प्राप्त की थी। हालांकि, दि.रा.औ.अव.वि.नि. कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट ने न तो ₹ 1.65 करोड़ की बकाया राशि प्राप्त की और न ही गारन्टी के लिए कहा तथा दि.रा.औ.अव.वि.नि. को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना करने हेतु ट्रस्ट को उस धनराशि की क्षतिपूर्ति करनी पड़ी। ट्रस्ट को इसके प्रचालन में 2007-08 से 2009-10 के दौरान क्रमशः ₹ 54.52 लाख तथा ₹ 51.84 लाख की हानियाँ भी हुई थी तथा 'ट्रस्ट के आरक्षितियों एवं आधिक्य' से

## अध्याय–4 निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन-देन लेखापरीक्षा

इन हानियों को करने के पश्चात दि.रा.औ.अव.वि.नि. के द्वारा ₹ 0.44 करोड़ की बकाया राशि की क्षतिपूर्ति की गई थी।

इस प्रकार, दि.रा.औ.अव.वि.नि. ट्रस्ट के मामलों में अविवेकपूर्ण फैसला लिए जाने के कारण ₹ 3.07 करोड़<sup>4</sup> की हानि उठानी पड़ी। दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने इन प्रेक्षणों को स्वीकार (जनवरी 2014) किया।

### 4.1.2.2 फ्लैटिड फैक्ट्री काम्पलैक्स झण्डेवालान

ओ एण्ड एम. अधिनियम की अनुपालना करते हुए औद्योगिक विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने दि.रा.औ.अव.वि.नि. को फ्लैटिड फैक्ट्री काम्पलैक्स (एफ.एफ.सी.) झण्डेवालान हस्तांतरित (दिसम्बर 2011) किया जिसमें 570 इकाईयाँ समिलित थीं। सभी इकाईयों को किराये पर आवंटित किया गया था। प्रत्येक माह प्रत्येक इकाई (समस्त एफ.एफ.सी. के लिए ₹ 85.50 लाख प्रति वर्ष) ₹ 1250 की दर पर (2005) उपयोगिता प्रभार (पानी तथा बिजली प्रभारों को समिलित करते हुए) नियत किया गया था।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने 8 नवम्बर 2011 तक की अवधि के लिए दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) को जल प्रभार के लिए ₹ 2 करोड़ का भुगतान (मार्च 2012) किया, जोकि एफ.एफ.सी. को स्थानान्तरित किए जाने से पूर्व की अवधि थी जो औद्योगिक विभाग द्वारा वहन की जानी चाहिए थी। इस प्रकार, दि.रा.औ.अव.वि.नि. के ₹ 2 करोड़ अवरोधित हो गए तथा ₹ 24 लाख (सितम्बर 2013 तक 18 महीनों के लिए 8 प्रतिशत पर परिकलित किए गए) के ब्याज की हानि हुई।

यह भी देखा गया कि अधिकतर आबंटी उपयोगिता प्रभारों का भुगतान नहीं कर रहे थे तथा दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने मार्च 2013 में दि.ज.बो. को केवल जल प्रभार के रूप में (9 नवम्बर 2011 से 8 मार्च 2013 तक की अवधि के लिए) ₹ 1.65 करोड़ तथा 2012-13 के दौरान बिजली तथा जल प्रभारों के लिए ₹ 1.85 करोड़ का भुगतान किया जबकि उसने उपयोगिता प्रभारों के रूप में ₹ 85.50 लाख के प्रति केवल ₹ 56.01 लाख (बकायों को समिलित करते हुए) प्राप्त किए थे। जबकि बिजली तथा जल प्रभारों के उपयोगिता प्रभारों तथा वास्तविक भुगतान के अन्तर को वह स्वयं वहन कर रहा था। दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने उपयोगिता प्रभारों के संशोधन किए जाने के कोई कदम नहीं उठाये। जिसके परिणामस्वरूप केवल 2012-13 के दौरान ₹ 99 लाख (₹1.85 करोड़ में से ₹ 85.50 लाख घटा कर) की हानि हुई।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार (जनवरी 2014) किया तथा सूचित किया कि उपयोगिता प्रभारों को संशोधित कर दिया गया था। दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने आगे एफ.एफ.सी. के स्थानान्तरण से पूर्व की अवधि के लिए औद्योगिक विभाग से बकायों की वसूली किए जाने का आश्वासन दिया।

### 4.1.3 मोनोरेल परियोजना के लिए पूर्व-व्यवहारिता अध्ययन निधियों का विचलन

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने शान्ति पार्क एवं कल्याणपुरी के बीच मोनोरेल परियोजना को चलाने के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहारिता अध्ययन एवं डीपीआर की तैयारी हेतु मेसर्स राइट्स को नामांकन के आधार पर ₹ 1 करोड़ के शुल्क पर नियुक्त (27 मई 2011) किया तथा परामर्श शुल्क पर ₹ 1.18 करोड़ (कर सहित) का भुगतान किया दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने (अगस्त 2012) परिवहन विभाग से देय परामर्श

<sup>4</sup> ₹ 0.98 करोड़ + ₹ 1.65 करोड़ + ₹ 0.44 करोड़

शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए मांग भेजी और मार्च 2013 में प्रतिपूर्ति मांगने हेतु एक पत्र भी भेजा। दि.रा.ओ.अव.वि.नि. के मामले को सही तरीके से अनुपालना में असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.18 करोड़ का अवरोधन एवं ₹ 10.14 लाख की (8 प्रतिशत की दर से) ब्याज की हानि हुई।

दि.रा.ओ.अव.वि.नि. ने अपने जवाब (जनवरी 2014) में बताया कि अध्ययन रा.रा.क्षे.दि.स. के निर्देशों के अधीन किया गया था तथा सरकार दि.रा.ओ.अव.वि.नि. द्वारा परिवहन विभाग के माध्यम से व्यवहार्यता अध्ययन पर हुए व्यय को वापिस दिलाए जाने को सहमत हो गई थी। इसके आगे बताया कि ₹ 1.18 करोड़ के भुगतान की प्राप्ति को, सम्बन्धित शीर्ष खाते में क्रेडिट किया जाएगा।

#### 4.1.4 पुर्नस्थापना संभाग

सर्वोच्च न्यायालय के 1996 के आदेश के प्रतिपालन में, रा.रा.क्षे.दि.स. ने औद्योगिक इकाईयों के पुर्नस्थापना के लिए एक योजना आरम्भ की जो अस्थायी क्षेत्रों में संचालित हो। इसके लिए, दि.रा.ओ.अव.वि.नि. ने एक पुर्नस्थापना संभाग बनाया जो औद्योगिक प्लाटों के आबंटन के लिए नियमों एवं शर्तों के अनुसरण को, पट्टे के कार्य का क्रियान्वयन, मूल-किराये का संग्रहण, चूककर्ताओं की जाँच इत्यादि को मॉनीटर करे। पुर्नस्थापन की 51,851 इकाईयों में से, 27,984 को प्लॉटों या फ्लैटों के आबंटन के लिए योग्य घोषित कर दिया गया था। डीएसआईआईडीसी 22307 प्लॉटों को 2012-13 तक बवाना, भोरगढ़, नरेला, बादली, पटपड़गंज और डिल्लीमिल में आवंटित किए। 18,553 प्लॉटों पर आधिपत्य दिया गया था तथा 16,082 आंबटियों से पट्टे का कार्य क्रियांवित किया था और 136 योग्य इकाईयां प्लॉटों के निश्चित आकार की प्राप्ति की इच्छा में प्रतीक्षा सूची (जनवरी 2013) में थी।

दि.रा.ओ.अव.वि.नि. ने पुर्नगठन योजना के अधीन औद्योगिक प्लाटो के आंबटियों द्वारा भूतल किराये के भुगतान से सम्बन्धित डाटा का अनुरक्षण कर रहा था। आंबटियों को भूतल किराये के भुगतान की ऑन-लाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, दि.रा.ओ.अव.वि.नि. ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमि. के गेटवे ऑन लाइन भुगतान को कार्यान्वित किया। यद्यपि आंबटियों द्वारा किए गए भुगतान को स्वचालित रूप से अद्यतन नहीं किया गया था। परन्तु दि.रा.ओ.अव.वि.नि. की वेबसाइट पर पुर्नगठन संभाग द्वारा इसको मैनुअली अद्यतन किया जाता था। यहाँ भूतल किराये की प्राप्ति के लिए आने वाली तिथियों के लिए प्राप्त किए गए आवेदन में वैधीकरण जांच नहीं की जा रही थी। इसके परिणामस्वरूप आंबटियों के गलत खाते बना दिए गए। दि.रा.ओ.अव.वि.नि. ने प्रणाली की कमियों को स्वीकारा (अक्टूबर 2013) तथा उसे सुधारे जाने का आश्वासन दिया। मार्च 2013 तक औद्योगिक क्षेत्रों में 14906 आंबटियों के औद्योगिक प्लाटों से ₹ 99.67 करोड़ का भूतल किराया बकाया था।

##### 4.1.4.1 भोरगढ़ एवं बवाना (फेस-II) पर आधारभूत संरचनात्मक विकास कार्य

दि.रा.ओ.अव.वि.नि. ने भोरगढ़ एवं बवाना (फेस-II) के नये औद्योगिक क्षेत्रों में संरचनात्मक विकास कार्य के लिए अपने तीसरी बार के आमंत्रण पर निविदाओं को अन्तिम रूप (मई 2007) दिया जिन्हें दो भागों (ए तथा बी) में आमंत्रित किया गया था। पार्ट-ए के लिए संविदा मेसर्स इन्टर्नेशनल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को ₹ 94.21 करोड़ पर सौंपी गई और पार्ट-बी के लिए मेसर्स एल एण्ड टी लिमिटेड को ₹ 77.44 करोड़ पर, (जनवरी 2008) में कार्य आरम्भ के पत्रों के साथ जारी किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया कि शुरूआत में कार्य समाप्ति का समय 18 महीने (निविदा के पहली बार का आमंत्रण) था जो दूसरे अवसर की निविदा के समय फ्लाई ऐश कार्य के क्रियान्वयन के समय सामने आने वाली कठिनाईयों को देखते हुए बोलीदाताओं ने वक्त बढ़ाकर 20 महीने कर दिया था। कार्य

## **अध्याय—4 निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन-देन लेखापरीक्षा**

समाप्ति का समय बढ़ाकर 20 महीने करने के परिणामस्वरूप, के.लो.नि.वि. मेन्युअल की धारा 10 सीसी लागू हो गई जिसमें सामग्री एवं सेवाओं की दरों में परिवर्तन के कारण संविदा राशि में परिवर्तन का प्रावधान है। संविदा में एक अतिरिक्त खण्ड भी जोड़ा गया, जिसमें निर्धारित समय से पूर्व कार्य समाप्त करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाये। निविदा आमंत्रण के तीसरे अवसर पर भी 20 महीने की बढ़ी हुई अवधि की अनुमति दी गई यद्यपि, इस समय, फ्लाई ऐश के मदों की मात्रा जो क्रियांवित होनी थी 11.07 लाख घन मी. से 9.40 लाख घन मीटर तक 15 प्रतिशत कम कर दी गई।

इन्दु प्रोजेक्ट लिमिटेड ने अपने कार्य को समाप्ति की निर्धारित तिथि (6 सितम्बर 2009) के प्रति 29 जून 2009 को समाप्त किया तथा मेसर्स एल एण्ड टी लिमिटेड ने समाप्ति की निर्धारित तिथि (6 अगस्त 2009) के पहले ही कार्य 16 अप्रैल 2009 को समाप्त किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों ठेकेदारों के सामग्री एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन होने के कारण संविदा राशि में परिवर्तन हुआ जिससे डी एस आई आई डी सी को ₹ 14.32 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ हालांकि फ्लाई ऐश कार्य की मात्रा कम कर दी गई थी जिसको पूर्व निर्धारित कार्य समाप्ति अवधि में बढ़ोत्तरी का कारण बताया गया था। यद्यपि प्रोत्साहन राशि खण्ड के अंतर्गत कोई भुगतान नहीं किया गया।

तथ्य यह है कि दोनों कार्य 17 महीने में ही समाप्त हो गये थे जिसका निष्कर्ष दर्शाता है कि 18 महीने की अवधि कार्य समाप्त करने के लिए काफी पर्याप्त थी तथा समाप्ति अवधि में बढ़ोत्तरी अनावश्यक एवं अनुचित थी।

दि.रा.ओ.अव.वि.नि. ने उत्तर दिया (जनवरी 2014) कि निविदा के प्रथम आंमत्रण की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए कार्य की समाप्ति की अवधि बढ़ा दी गई थी। समाप्ति अवधि के.लो.नि.वि. के अनुसार आकलित की गई थी तथा निर्धारित समय से 20 महीने का संशोधन ₹ 44.63 करोड़ के एक कार्य के लिए मैन्युअल के प्रावधानों के अनुसार था तथा समझा गया कि निष्पक्ष निविदा एवं ज्यादा से ज्यादा निविदाएं आकर्षित करने के लिए आवश्यक था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समाप्ति अवधि को सभी तथ्यों, पीईआरटी तथा सीपीएम चार्ट इत्यादि को ध्यान में रखते हुए निकाला गया था। समाप्ति की अवधि में बढ़ोत्तरी हो जाने से निविदा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि निविदाकर्ताओं के पास अपनी निविदा के मूल्यों को जमा कराने का 18 महीनों का समय था। लेखा परीक्षा ने फ्लाई ऐश वर्क के कारण समयावधि को बढ़ाए जाने की धारणा को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि फ्लाई ऐश के दुलाई/क्रियान्वयन के कार्य की मदों की निर्धारित मात्रा को 9.40 लाख घनमीटर से 11.07 लाख घनमीटर तक घटा दिया था और निष्पादित की गई वास्तविक मात्रा समान रूप से कम (8.63 लाख घनमीटर) था।

### **4.1.4.2 कन्जावला तथा रानी खेड़ा पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास**

कन्जावला (बवाना फेस-III) पर नये औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, डीएसआईआईडीसी ने जनवरी 2008 में खुली निविदाएँ अपनायी और परामर्श परियोजना को मेसर्स कन्सल्टेन्सी इन्जीनियर्स सर्विस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 18,570 प्रति एकड़ (कुल राशि ₹ 1.86 करोड़) पर दिया गया। लेखा परीक्षा में संविदा के निविदा आमंत्रण एवं क्रियान्वयन में असंगतियां पाई गई। दि.ओ.रा.अव.वि. नि. ने:

- दो योजनाओं (कन्जावला 920 एकड़ एवं रानी खेड़ा 127 एकड़) के लिए परामर्शदाता के चुनाव के लिए समान तकनीकी योग्यता की कसौटी का अनुसरण किया- प्रक्षेपण योजना एवं डिजाइन सेवाओं के लिए विगत सात वर्षों में भारत अथवा विदेश में उन समान परियोजनाओं को चलाने के लिए जिनकी अनुमानित लागत ₹ 100 करोड़ से कम नहीं है, के लिए आवश्यक क्षमता एवं अनुभव रखना आवश्यक है। यह उचित नहीं था क्योंकि कन्जावला योजना के अन्तर्गत रानी खेड़ा योजना के अंदर आने वाले क्षेत्र का लगभग छः गुना अधिक था।
- परामर्शदाता चिकित्सा, भण्डारण एवं निपटान सुविधा (टीएसडीएफ) स्थल के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुमोदन एवं पर्यावरण अनुमति प्रदान करने में असफल रहा। इसके साथ मांगी गई अन्य जानकारी काफी देर से प्रदान की गई। डीएसआईआईडीसी ने अंततः परामर्श संविदा पर गैर-निष्पादन के कारण पहले ही प्रतिबंध लगा दिया।

लेखापरीक्षा में पाया कि डीएसआईआईडीसी परियोजना के विकास पर स्पष्ट नहीं था क्योंकि नक्शायोजनाओं को तीन बार संशोधित किया गया और परामर्शदाता को संविदा से सम्बंधित बाध्यताओं के साथ वांछनीय डेटा उपलब्ध कराने में असफल रहा। इस प्रकार, परामर्शदाता द्वारा गैर-निष्पादन के झूठे आधार पर संविदा को प्रतिबंधित करने के परिणामस्वरूप ₹ 8.54 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

दि.रा.ओ.अव.वि.नि. ने बताया (जनवरी 2014) कि सशक्त प्रतियोगिता को बढ़ावा दिए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा एन.आई.टी की शर्तों तथा नियमों को अनुमोदित किया गया तथा तदानुसार परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनों निर्माण प्रतियोगिताओं के लिए समान तकनीकी मानदण्डों को रखा जाना प्रतिबंधित था। दि.रा.ओ.अव.वि.नि करार के अनुसार ठेकेदार को वांछित सूचना/डाटा उपलब्ध कराने में असफल रही जिसके परिणामस्वरूप संविदा प्रतिबंधित हो गई।

#### 4.1.5 इंजीनियरिंग डिवीजन

दि.रा.ओ.अव.वि.नि. का इंजीनियरिंग डिवीजन विभिन्न सरकारी एजेंसियों की ओर से सभी जमा निर्माण कार्यों (सिविल तथा इलैक्ट्रिक) को निष्पादित कर रहा है। इस डिवीजन ने 2008-13 के दौरान निगम के लिए ₹ 2,796.91 करोड़ के कुल राजस्व का सृजन किया।

##### 4.1.5.1 अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास निर्माण

शहरी विकास विभाग, (शा.वि.वि.) रा.रा.क्षे.दि.स. ने दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों (अ.कॉ) में मूल अवसंरचना सुविधाओं जैसे सड़कों, स्ट्रोम वाटर ड्रेन्स इत्यादि के निर्माण का कार्य दि.रा.ओ.अव.वि.नि. को दिया। 2008-13 के दौरान, दि.रा.ओ.अव.वि.नि. को सड़कों के निर्माण तथा स्ट्रोम वाटर ड्रेन्स के निर्माण के लिए ₹ 1,085.26 करोड़ मूल्य के 1,024 ठेके सौंपे।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मंत्रीपरिषद ने 1,539 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1,071 उपयुक्त अनाधिकृत कॉलोनियों में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्णय लिया (नवंबर 2007) जहाँ पानी की पाईप तथा सीवरेज लाइनें अथवा कोई अन्य सेवाएं पहले ही बिछी हुई थीं जिससे सड़कों को बार-बार काटने की आवश्यकता को दूर किया जा सके। उपयुक्त निर्णय को अप्रैल 2008 में सूचित करते समय उसे बदल दिया गया कि सीमेंट कंक्रीट सड़कों उन कंक्रीट सड़कों पर बिछाने की बजाए जहाँ सीवरेज

तथा पानी की पाइपें बिछी हुई थीं, वहाँ बिछाई जाएंगी जहाँ सीवरेज तथा पानी की पाइपें नहीं बिछाई गई थी। इस प्रकार निर्णय का उद्देश्य ही बदल गया।

उपरोक्त सरकारी निर्णय के परिणामस्वरूप, कॉलोनियों में ₹ 206.96 करोड़ के मूल्य की सीमेंट कंक्रीट की सड़क बिछाने का कार्य किया गया जहाँ दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर लाईन्स तथा पानी की लाइनें नहीं बिछाई गई थी।

दि.रा.ओौ.अव.वि.नि ने कहा (जनवरी 2014) कि सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण का कार्य दिनांक 6 सितंबर 2007 के केबिनेट के निर्णय की सूचना देते हुए श.वि.वि. के आदेशों के अंतर्गत किया गया। पानी और सीवर लाइनों के बिछाने की शर्त को दिनांक 20 नवंबर 2007 के केबिनेट निर्णय में उल्लिखित किया गया जिसे पुनः दिनांक 16 सितंबर 2008 के पत्र में दोहराया गया। समापन सम्मेलन में दि.रा.ओौ.अ.वि.नि. ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने अभी तक (फरवरी 2014) लेखापरीक्षा द्वारा इंगित सड़कों पर सीवर तथा पानी की लाइनें नहीं बिछाई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिससे यह संकेत होता कि कंक्रीट सड़कें केवल उन्हीं स्थानों पर बिछाई गई थीं जहाँ पर सीवरेज तथा पानी की लाइनें बिछाने की आवश्यकता नहीं है जिससे कंक्रीट सड़कों को काटने की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

### 4.1.6 'रूपांतर' परियोजना

रा.रा.क्षे.दि.स. के शिक्षा विभाग (शि.वि.) ने स्कूलों की वर्तमान अवसंरचना को सुधारने के लिए एक 'रूपांतर' परियोजना को अपनाया, और इसे एक जमा कार्य के रूप में दि.रा.ओौ.अव.वि.नि को सौंपा गया। शि.वि.ने 198 स्कूल परिसरों की पहचान कर और बेहतर बनाने के लिए दि.रा.ओौ.अव.वि.नि. को सौंपा। दि.रा.ओौ.अव.वि.नि. ने मेसर्स आई.एल तथा एफ.एस. शिक्षा तथा तकनीकी सेवायें लिमिटेड (शि.त.से.लि.) को स्कूल-वार सुधार योजना बनाने तथा पाँच कलस्टरों के अन्दर 144 स्कूलों की उन्नति के लिए ठेके पर कार्य सौंपा। मई 2008 से जून 2009 के दौरान 48 स्कूलों के लिए ठेके अलग से सौंपे गए, जबकि छः स्कूलों के लिए जगह उपलब्ध न होने के कारण उनका कार्य नहीं सौंपा जा सका। शि.वि. ने ₹ 245.22 करोड़ के लिए प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्थीकृति (प्र.अ.तथा व्य.स) दी थी।

परियोजना में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः

#### 4.1.6.1 परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु एन.आई.टी में कमियाँ

दि.रा.ओौ.अव.वि.नि. ने परियोजना के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए एन आई टी जारी किया (6 जून 2006)। एन आई टी अनिर्णित था, तथा उसमें कार्यक्षेत्र संबंधी सूचनाएँ जैसे परियोजना में कवर की जाने वाली कुल स्कूलों की संख्या, अनुमानित लागत, फर्म की योग्यताएं, समान कार्यों का पूर्व अनुभव, बोलीकर्ता फर्मों का टर्नओवर, जुर्माने की शर्त इत्यादि, सम्मिलित नहीं थी।

दि.रा.ओौ.अव.वि.नि ने कहा (जनवरी 2014) कि एन आई टी, के.लो.नि.वि. मैनुअल के आधार पर जारी किया गया। परामर्शदाता के लिए तकनीकी स्टॉफ की तैनाती तथा वैट/सेवाकर/पैन इत्यादि उपलब्ध कराना आवश्यक था। दि.रा.ओौ.अव.वि.नि. ने समापन सम्मेलन में स्पष्ट किया कि एन.आई.टी अनिर्णीत नहीं था तथा ठेका निर्माण ठेकों से भिन्न था। परामर्श शुल्क प्रतिशतता आधार पर था। उत्तर

स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दि.रा.ओ.अव.वि.नि. स्वयं भी अपने स्वयं के इंजीनियर डिविजन के जरिए परामर्श और निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ था और इंगित कर्मियाँ सामान्यतः वहाँ किसी निविदा दस्तावेज में हैं और सम्मिलित किए जाने चाहिए।

#### 4.1.6.2 परामर्शदाता के रूप में एक अयोग्य फर्म का चयन

दो दलों में से जिन्होंने बोली प्रस्तुत की थी, केवल मेसर्स आई.ई.टी.एस. को तकनीकी योग्यता के रूप में घोषित किया गया तथा परामर्श का कार्य सौंपा गया तथा करार हस्ताक्षरित किया गया (नवंबर 2006)। लेखा परीक्षा छानबीन ने दर्शाया कि एन आई टी ने कम्पनियों के समूह अथवा जॉयन्ट वेन्चर्स (जे.वी.) को भी बोली के लिए अनुमत किया था। यद्यपि, सिविल तथा वास्तुशिल्पीय परियोजनाओं में वांछित अनुभव के लिए, आई.ई.टी.एस. ने मेसर्स प्रदीप सचदेवा डिजाइन एसोसिएट्स (पी.एस.डी.ए.) के साथ मैमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रस्तुत किया था, उनके पास कोई जे.वी. नहीं था। इस प्रकार, आई.ई.टी.एस., जे.वी. तथा कम्पनियों के समूह की कसौटी पर खरी नहीं उतरी तथा इसलिए उसकी तकनीकी बोली वास्तविक रूप से ठीक नहीं थी। इसके अतिरिक्त, आर.ई.ई.टी.एस. एक स्वतन्त्र फर्म के रूप में बोली प्रस्तुत की थी, जोकि एक वास्तुशिल्पीय तथा सिविल कान्ट्रैक्टर फर्म नहीं थी। इस प्रकार, एम.ओ.यू. के आधार पर उनकी बोली को भी नकार दिया जाना चाहिए था।

दि.रा.ओ.अव.वि.नि. ने जवाब दिया कि आई.ई.टी.एस. ने तकनीकी मापदण्डों का पालन करने के लिए एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एन आई टी को जे.वी. अथवा कम्पनियों के समूह से और न कि एम ओ यू के माध्यम से बने समूह से शर्तों पर बोलियाँ अनुमत थीं।

#### 4.1.6.3 'रूपान्तर' परियोजना के निष्पादन में अनियमितताएँ

परियोजना के निष्पादन में लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईः

- बाजार सर्वेक्षण (एम आर जे) के आधार पर दि.रा.ओ.अ.वि.नि. द्वारा तर्कसंगत दरें तैयार की गई। हालांकि, बाजार सर्वेक्षण हेतु अपनायी गई प्रणाली लेखों में नहीं थी। बाजार सर्वेक्षण की अवधि की यथार्थता इस उद्देश्य के लिए नियुक्त की गई कमेटी का गठन, आपूर्तिकर्ताओं तथा वेन्चर्स इत्यादि से प्राप्त की गई निविदाओं को निश्चित नहीं किया जा सका था क्योंकि पाँच कलस्टरों में जहाँ कार्य जून 2009 से अगस्त 2009 के दौरान सौंपे गये थे, समान मदों की दरें भिन्न थी। दि.रा.ओ.अव.वि.नि. ने कहा (जनवरी 2014) की बाजार सर्वेक्षण के.लो.नि.वि. के मैनुअल के आधार पर बनाई गई तथा दरों में भिन्नता कामन वेल्थ गेम्स की वजह से थी। उपरोक्त जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कन्टेक्ट दरें साठ दिनों के लिए वैध थी तथा विभिन्नताएँ छोटे समय एवम पाँचों कलस्टर के बीच स्वीकार्य नहीं हैं।
- कलस्टरर्स-5 के मामले में, बीएलएस इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सुमेर कन्सट्रक्शन की बोली स्वीकृत थी। यह पाया गया कि 28 कलस्टर्स स्कूलों के संबंध में निविदा प्रस्तुत करने के लिए बीएलएस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने दिनांक 23 अगस्त 2009 को उपयुक्त जेवी भागीदार की खोज को समायोजित किया और अगले दिन 24 अगस्त 2009 को सुमेर कॉरपोरेशन के साथ जेवी अनुबंध में प्रवेश किया। अतः निविदा हेतु तकनीकी रूप से उत्तीर्ण होने के उद्देश्य से जेवी के साथ सुमेर कन्सट्रक्शन निर्मित हुई। हालांकि, जेवी अनुबंध के करार 4.2 के अनुसार, संविदा के निष्पादन के लिए एक बीएलएस इन्फ्रास्ट्रक्चर ही जिम्मेदार था।

दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने बताया (जनवरी 2014) कि बीएलएस इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सुमेर कॉरपोरेशन की जेवी, एनआईटी की तकनीकी कसौटी के अनुसार उत्तीर्ण था तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र एवं अलग-अलग क्षतिपूर्ति अनुबंध पत्र प्राप्त किये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दि.रा. औ.अ.वि.नि. ने तकनीकी निविदाओं को अंतिम रूप देते समय अनुवर्ती रूप से क्षतिपूर्ति अनुबंध पत्र प्राप्त किये थे जो लेखापरीक्षा के इस मुद्दे को भी प्रमाणित करता है कि तैयार जेवी इसकी वित्तीय निविदा के लिए जिस पर विचार किया जा रहा था तकनीकी रूप से योग्य नहीं थी।

- भोलानाथ नगर में स्थित स्कूल के मामले में, आई.ई.टी.एस. की सिफारिश पर ₹ 1.74 करोड़ के मूल कार्य के अलावा ₹ 50.80 लाख का अतिरिक्त कार्य प्रारंभ किया गया था। आई.ई.टी.एस. द्वारा कई मौकों पर आवश्यकतानुसार कार्य की लागत राशि को बदला गया जो दि.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा स्पीकृत किया गया था। यह परामर्शदाता के प्रारंभिक योजना एवं निर्माणस्थल के सर्वेक्षण में की गई लापरवाही को दर्शाता है।

दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में कहा कि अनुमानों में विद्यमान प्रावधान पर्याप्त नहीं थे और भवन को अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी जिसके कारण अतिरिक्त व्यय किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बार-बार कार्य क्षेत्र को बदलना, योजना एवं कार्यस्थल के सर्वेक्षण की कमी को दर्शाता है।

#### **4.1.7 आवासीय परियोजनाएँ**

शहरी गरीब तथा स्लम पुनः स्थापना परियोजना के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण विकास मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत वर्ष 2008-13 दौरान डीएसआईआईडीसी ने 64,040 निवासी इकाई के निर्माण के लिए 13 परियोजनाओं का उत्तरदायित्व लिया था। इन परियोजनाओं पर ₹ 46.45 लाख खर्च करने के बाद अवरोधमुक्त रथल की अनुपलब्धता के कारण पाँच परियोजनाएँ (23,040 निवासी इकाईयां) ताक पर रख दी गई थीं। 31 मार्च 2013 तक, 13,820 निवासीय इकाईयों का निर्माण हो चुका था जबकि 25,500 निवासीय इकाईयों का निर्माण प्रगतिशील था। शेष 1680 निवासीय इकाईयों का कार्य निर्माणस्थल की कमी के कारण नहीं सौंपा जा सका था।

##### **4.1.7.1 निवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए भूमि का कम उपयोग**

शहरी निर्धनों के लिए वहन करने योग्य आवास हेतु (फरवरी 2007 में तैयार) दिल्ली के लिए मास्टर प्लान 2021 (एमपीडी 2021) में प्रावधान है कि निर्मित हुये आवास लगभग 25 वर्गमीटर के होने चाहिए ताकि 600 इकाई प्रति हेक्टेयर के अधिकतम घनत्व को प्राप्त किया जा सके। हालांकि, दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने केवल 300 इकाई प्रति हेक्टेयर घनत्व वाले 13,820 फ्लैट्स (जी+2 एवं जी+3 प्रकार) के निर्माण के लिए, चार परियोजनाओं<sup>6</sup> के लिए डीपीआर तैयार की एवं अनुमोदन प्राप्त किया। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली में भूमि का कम उपयोग हुआ तथा अतिरिक्त 3,720 नि.इ. के निर्माण का सुअवसर खो दिया।

दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने कहा (जनवरी 2014) कि 13,820 फ्लैट्स की डी पी आर, एम पी डी-2001 पर आधारित थीं जहाँ 300 इकाईयां प्रति हेक्टेयर का प्रावधान था जो वर्ष 2007 में एम पी डी-2021 के शुरु होने के पश्चात बढ़कर 600 इकाईयाँ हो गया। इस अवधि के दौरान रा.राक्षे. दि.स. ने जे एन एन यू

<sup>6</sup>जून 2007 में बवाना, नरेला तथा भोरगढ़ पर शहरी निर्धनों के लिए आवास; जून 2007 में कंजावला, घोगा तथा बपरौला पर स्लम पुनर्गठन परियोजना; अक्टुबर 2008 में बवाना पर स्लम पुनर्गठन परियोजना; अक्टुबर 2008 में बपरौला फेस-II पर स्लम पुनर्गठन परियोजना।

आर एम का कार्य दि.रा.औ.अव.वि.नि. को सौंप दिया तथा नरेला, भोरगढ़ और बवाना की परियोजनाओं को परिवर्तित करके जे एन एन यू आर एम को सौंप दिया। दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने भी सूचित किया कि 600 इकाईयां प्रति हैक्टर की एफ ए आर को सात से आठ मंजिला इमारत द्वारा प्राप्त किया गया जिसमें प्रति इकाई लागत बढ़ने के कारण लिफ्टों की आवश्यकता थी। इस प्रकार 600 इकाईयां प्रति हैक्टर की एफ ए आर को प्राप्त करने के लिए मुख्य बाधा इकाई लागत को कम रखने की थी परन्तु भूमि की कमी को देखते हुए अब दि.रा.औ.अव.वि.नि. अपेक्षित एफ ए आर प्राप्त करने हेतु जी+4 इकाईयाँ निर्मित कर रहा है। इस प्रकार दि.रा.औ.अव.वि.नि. एम पी डी-2021 में बताई एफ ए आर प्राप्त नहीं कर सका और जी+3 तथा जी+4 प्रकार की बजाए जी+2 तथा जी+3 प्रकार में नि.ई. के निर्माण से अतिरिक्त 3,720 कम लागत घरों के अवसर तथा जरुरतमंद नागरिकों को उन्हें उपलब्ध कराने का लाभ नहीं उठाया जा सका।

#### 4.1.7.2 परामर्शदाता की नियुक्ति में अनियमितताएँ

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने (10 अगस्त 2006) 40,000 आवासों के निर्माण कार्य हेतु 21 सूचीबद्ध वास्तुकारों को उनके प्रस्ताव भेजने के अनुरोध के साथ आमंत्रित किया। परामर्श शुल्क परियोजना की लागत के एक प्रतिशत की दर से नियत था जिसमें भूमि की लागत शामिल नहीं थी तथा परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) 0.5 प्रतिशत की दर से नियत था जिसमें गुणवत्ता लेखापरीक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और स्थल निरीक्षण एवं प्रबंधन शामिल था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सूचीबद्ध वास्तुकारों को पत्र भेजने के पूर्व ही मेसर्स अदलखा एण्ड एसोसीएट द्वारा जून 2006 में बवाना एक्सटेंशन, नरेला औद्योगिक कॉम्प्लेक्स एवं भोरगढ़ (बवाना-II) में कार्य पहले ही आरंभ किया जा चुका था। इस तथ्य का पता मेसर्स अदलखा एण्ड एसोसीएट के पत्र दिनांक 9 जून 2006 से चला जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि प्रारंभिक रेखाचित्र पहले ही तैयार कर लिया गया था तथा बवाना एक्सटेंशन के लिए योजना दिल्ली नगर निगम के योजना विभाग में प्रेषित किया जा चुका था। योजना का प्रारंभिक अनुमान एवं विस्तारित परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) दि.रा.औ.अव.वि.नि. को भी प्रेषित की जा चुकी थी।

इसी दौरान, चार वास्तुकारों ने अपनी निविदा (30 अगस्त 2006) प्रस्तुत की। इस प्रकार, जब सूचीबद्ध वास्तुकारों को उनकी निविदा प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया था, परामर्श का कार्य पहले ही सौंपा जा चुका था। मार्च 2013 तक, दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने ₹ 7.41 करोड़ का शुल्क दिया।

मेसर्स बहल जोशी एवं एसोसिएट को छांटे गये वास्तुकारों में से कन्नावला एवं बवाना की परियोजनाओं के लिए वास्तुकार के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि, इन परियोजनाओं को न्यायालय से स्टे आर्डर के कारण आरंभ नहीं किया जा सका। 2011-12 के दौरान, दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने पुनः निश्चय किया कि कन्नावला में 4000 निवासीय इकाईयों का निर्माण किया जाये और इस बार, बजाय खुली निविदा बुलाने के, एक प्रतिशत के शुल्क पर, पुराने अनुबंध को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से मेसर्स बहल जोशी एण्ड एसोसीएट के साथ एक अनुबंध (6 मार्च 2012) किया। लेखापरीक्षा में पाया गया:

(i) मेसर्स बहल जोशी एण्ड एसोसिएट की नियुक्ति बिना प्रतियोगी निविदा आंमत्रण के किया गया जो अनियमित था। यहाँ तक कि फर्म इस परियोजना की सबसे कम बिक्रीकर्ता थी जो फर्म के साथ रही, फर्म से कोई अनुबंध नहीं किया गया था इसलिए, इसे पुराने अनुबंध को पुनर्जीवित करने हेतु निर्मित नहीं किया जा सकता है। दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा (सितम्बर 2013)

और बताया कि फर्म को केवल आरम्भ करने का पत्र ही जारी किया गया।

(ii) फ्लैटिड निवासी इकाईयों के निर्माण कार्य आवृत्ति प्रकृति के थे जहाँ केवल एक खण्ड के रेखाचित्र को ही प्राधिकृत अधिकारी से अनुमोदित कराया गया था और परियोजना के अन्य खण्डों के निर्माण के लिए समान रेखाचित्र का प्रयोग किया गया। अतः परियोजना के सभी खण्डों के लिए समान परामर्श शुल्क न्यायसंगत नहीं था।

दि.रा.ओ.अव.वि.नि. ने उत्तर दिया (जनवरी 2014) कि जे एन एन यू आर एम के अंतर्गत घरों के निर्माण की शीघ्रता थी। मैसर्स अदलखा एंड एसोसिएट्स जो अपने पेनल में थे और जिन्होंने 3164 औद्योगिक मजदूरों के घरों का कार्य किया था, को आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को डी पी आर तैयार करने के लिये प्रस्तुत किया गया। यदि मैसर्स अदलखा निविदा पाने में सफल नहीं हो पाए तो किए गए कार्य के लिए देय शुल्क का समायोजन सफल परामर्शदाता के शुल्क से किया जाएगा। मैसर्स बहल जोशी एंड एसोसिएट्स को कार्य सौंपने के संबंध में दि.रा.ओ.अव.वि.नि. ने कहा कि यह प्रतियोगितात्मक निविदा थी और केवल कार्य को पुनः चालू किया गया था। आगे यह कहा गया कि प्रत्येक परियोजना की अपनी स्वयं की दिशाएँ भू-स्थलाकृति तथा मिट्टी के प्रकार तथा वहन क्षमता थी। इसलिए प्रत्येक योजना की रूपरेखा प्लाट के आकार, स्थलाकृति इत्यादि के आधार पर तैयार की जानी थी और, इसलिए यह निर्मित नहीं कर सकता है कि कार्य आवृत्ति प्रकृति का था। दि.रा.ओ.अव.वि.नि. ने समापन सम्मेलन में कहा कि यह उचित निविदा थी तथा मैसर्स अदलखा, शहर में ई.डब्ल्यू.एस. इकाईयों के निर्माण की एक नेतृत्व फर्म थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मै. अदलखा ने निविदा प्रक्रिया शुरू करने से पहले कार्य को आरंभ कर दिया था। शुल्क तकनीकी निविदाओं को अंतिम रूप देने के पश्चात नियत किया जाना चाहिए। कार्य की आवृत्ति प्रकृति के लिए एकरूप शुल्क का भुगतान सी वी सी दिशा निर्देशों के उल्लंघन में था। यहाँ तक कि यदि दि.रा.ओ.अव.वि.नि. के दिशाएँ, भू-स्थलाकृति, मिट्टी का प्रकार तथा वहन क्षमता पर

#### **4.1.7.3 एकल-ठेकेदार की तकनीकी क्षमता का गैर-निर्धारण**

टीक्री कलां में, 6,740 निवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए दि.रा.ओ.अव.वि.नि. ने परियोजना को दो भागों में बांटा और दो भिन्न निविदाएँ (29 जून 2012) 3360 नि.ई. एवं 3380 नि. इकाईयों के निर्माण हेतु जारी की गई जिसका कारण यह दिया गया कि यह एकल ठेकेदार पर निर्भरता को कम करेगा साथ ही इस शर्त के साथ कि जेएनएनयूआरएम के अंदर, किसी भी ऐजेन्सी को 10000 निवासीय इकाईयों से अधिक का कार्य नहीं सौंपा जायेगा। हालांकि, यह पाया गया कि मैसर्स पाण्डे इन्फ्राकॉन्स पा.लि., जो दोनों निविदाओं के प्रतिउत्तर में एल-I था, को उनके उद्धृत मूल्य ₹ 145.81 करोड़ एवं ₹ 149.73 करोड़ क्रमशः पर कार्य सौंपा गया। यद्यपि, निविदा में एक फर्म की अधिकतम 10000 निवासीय इकाईयों की कसोटी शामिल की गई, यह सुनिश्चित करने हेतु कोई शर्त नहीं शामिल की गई कि दो निविदाओं में एल-I होते हुये भी केवल एक संविदा ही पा सकता है, जोकि परियोजना को दो भाग में बांटने का इरादा था। यह भी पाया गया कि परियोजना के पूरा होने का समय 12 महीने था परन्तु नवम्बर 2013 तक, फर्म केवल 3,360 निवासीय इकाईयों का 6.50 प्रतिशत तथा 3,380 निवासीय इकाईयों का 6.13 प्रतिशत ही पूरा कर सका। जबकि कार्य को दिसम्बर 2012 में आंबित किया गया था यह दि.रा.ओ.अव.वि.नि. के एकल ठेकेदार के दोनों ठेकों के क्रियान्वयन में तकनीकी क्षमता को निर्धारित करने में हुई विफलता को दर्शाता है जिसके कारण परियोजना को पूर्ण होने में देरी हुई।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने कहा (जनवरी 2014) कि यह मात्र अवसर था कि दोनों कार्यों के लिए एक ही एजेंसी एल-1 थी। दोनों पैकेजिस को मिलाने के पश्चात नि.ई. की संख्या 6,740 नि.ई. आती है जो 10,000 नि.ई. की अपेक्षा कम थी। तथापि उनके वित्तीय विवादों के कारण ठेकेदार निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रत्यक्ष प्रगति को प्राप्त नहीं कर सका और फर्म के प्रति कार्रवाई समझौते की शर्तों के अनुसार की जा रही थी। दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने समापन सम्मेलन में कहा कि समय की बाध्यता के कारण कार्य को दो भागों में विभाजित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक अकेली फर्म में 10,000 नि.ई. को एन.आई.टी. में मिलाया गया परन्तु एकमात्र ठेकेदार पर निर्भरता को कम करने के विचार से कार्य को बांट दिया परन्तु लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका जैसा कि, ठेके में समापन की खराब दर से स्पष्ट होता है।

#### 4.1.8 राजस्व उत्पादन परियोजना

डीएसआईआईडीसी ने तीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास राजस्व उत्पादन परियोजनाओं के रूप में करने का निश्चय किया जो इस प्रकार हैः (i) ओखला फेस-I में व्यवसायी परिसर-सह-फलैटेड फैक्टरी-सह-सुविधा केन्द्र (ii) ओखला फेस-II में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चलायमान औद्योगिक सम्पदा (iii) वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्रशासनिक खण्ड भवन के स्थान पर एक नये कार्यालय का भवन निर्माण।

##### 4.1.8.1 ओखला फेस—I में आरजीपी की अनियमितताएँ

ओखला फेस-I पर आरजीपी के लिए, डीएसआईआईडीसी ने ₹ 89.69 लाख पर रेखाचित्रण एवं आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक परामर्शदाता को नियुक्त (मई 2010) किया। फरवरी 2012 में, पुनर्विकास का कार्य ₹ 37.74 करोड़ में सौंपा। विद्यमान ढाँचे को विखण्डित करने की एक संविदा भी ₹ 35.36 लाख के लिए सौंपी (फरवरी 2012) गई थी। दि.न.नि.न. 12 जुलाई 2012 को प्रस्तावित भवन निर्माण योजना से इन्कार कर दिया।

ठेकेदार को रेखाचित्रों तथा अवरोध मुक्त भूमि के आवश्यक अनुमोदित योजनाओं के अभाव में ठेका पूर्वसमाप्त (दिसम्बर 2012) कर दिया गया था। संरचना के विखण्डन के मामले में, 4,590.46 वर्गमीटर के पूरे क्षेत्र में से ठेकेदार केवल 2,722.64 वर्गमीटर क्षेत्र का विखण्डन कर सका क्योंकि किराएदार के कारण स्थल खाली नहीं था। यह दर्शाता है कि डीएसआईआईडीसी ने परियोजना को आरंभ करने से पूर्व कोई कार्यकारी योजना नहीं बनाई थी परामर्श के रूप में ₹ 13.45 लाख को सम्मिलित करते हुए ₹ 30.29 लाख का व्यय किया जोकि निष्फल सावित हुआ।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने जवाब (जनवरी 2014) दिया कि परामर्शदाता की नियुक्ति का किया जाना किसी भी निर्माण परियोजना को आरंभ किए जाने तथा व्यय को समायोजित करने से पूर्व की आवश्यकता होती है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि प्लाट के आकार तथा प्रवेश किए जाने की समस्या के कारण दि.न.नि. से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सका था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दि.रा.औ.अव.वि.नि. के पूर्व अवसंरचना सहित कम्पलीशन प्लान तथा ले-आउट प्लान की गैर उपलब्धता के कारण प्रस्तावित किए गये भवन निर्माण को दि.न.नि. ने अस्वीकार कर दिया। तथा इन सब के अभाव में निर्माण ठेके के कार्य को बन्द कर दिया गया।

#### 4.1.8.2 ओखला फेस-II एवं वजीरपुर पर आर.जी.पी. में देरी

दि.पि.प्र. ने (अप्रैल 1993) डीएसआईआईडीसी को इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के निर्माण हेतु ओखला फेस-II में 2,665.41 वर्गमीटर की भूमि आबंटित की गई और निर्माण हेतु पांच वर्ष दिये गये जिस अवधि को जून 2002 तक बढ़ा दिया गया था। डीएसआईआईडीसी ने (फरवरी 2000) यह निश्चय किया कि इस सम्पदा पर कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का बाजार बनाया जाये तथा ₹ 2.12 लाख भुगतान पर एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गई। लेखापरीक्षा में देखा गया कि परियोजना पर निर्माण की क्रियाविधि अक्टूबर 2013 तक से आरम्भ नहीं हो पाई थी:—

- फरवरी 2001 में एन.आई.टी. को आमंत्रित किया गया जिसे नीति निर्धारण में निर्णय की असफलता के कारण रद्द कर दिया गया। इसीलिए, परामर्श के लिए ₹ 2.12 लाख का किया गया भुगतान फलदायी नहीं था।
- दि.न.नि. द्वारा (अक्टूबर 2013) भवन योजना को अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि डीएसआईआईडीसी द्वारा दि.न.नि. से सम्पत्ति कर के संदर्भ में तथा दि.पि.प्रा. से समय-समय पर वृद्धि के संदर्भ में “अनापत्ति प्रमाण पत्र” (अ.प्र.प.) प्रस्तुत नहीं कर सका। दिसम्बर 2011 तक नौ वर्षों के लिए समय में वृद्धि प्राप्त करने के लिए डीएसआईआईडीसी को (जुलाई 2010) संयोजन शुल्क के रूप में, जिसमें पेनल्टी शामिल है, ₹ 53.17 लाख का भुगतान किया तथा ₹ 1.32 लाख का सम्पत्ति कर, जिसमें ब्याज ₹ 0.31 लाख शामिल है, का भी भुगतान किया। डीएसआईआईडीसी ने जुलाई 2015 तक समय में वृद्धि के लिए दोबारा संयोजन शुल्क ₹ 47.61 लाख भुगतान (सितम्बर 2013) किया।

इस प्रकार, डीएसआईआईडीसी 13 वर्षों से भी अधिक समय के लिए कार्य आरम्भ करने में विफल रही और परिहार्य संयोजन शुल्क ₹ 1.01 करोड़ का वहन करना पड़ा। यह दर्शाता है ढंग से योजना नहीं बनाई गई क्योंकि अक्टूबर 2013 तक परामर्श दाता के नियुक्ति के बावजूद दि.न.नि. से आवश्यक अनुमोदन नहीं प्राप्त किया जा सका।

दि.रा.ओ.अव.वि.नि. ने जवाब (जनवरी 2014) दिया कि संविधिक अनुमोदन में विलम्ब का होना उसके नियन्त्रण से बाहर था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्यकि दि.रा.ओ.अव.वि.नि. सम्पत्ति कर को समय से जमा कराने में असफल रही थी तथा ई.ओ.टी के लिए संयुक्त शुल्क अदा किया गया। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित विभागों से एन.ओ.सी. तथा ई.ओ.टी प्राप्त किये जाने में विलम्ब हुआ जिससे अन्त में दि.न.नि. से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जाने में विलम्ब हुआ।

इसी प्रकार, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र पर वर्तमान प्रशासनिक ब्लाक के स्थान पर नई बिल्डिंग निर्माण हेतु, भूतल को अधिकतम 50 प्रतिशत आच्छादित करने सहित मा.प्ला. दि. 2021 के अधीन अनुज्ञेय फुल फ्लोर एरिया अनुपात की सुविधा को प्राप्त करते हुए एक नई बिल्डिंग (1,995 वर्ग मी.) के निर्माण को प्रस्तावित किया गया था। 18,268.39 वर्ग मी. के इस भूमि के हिस्से पर, 8784.54 वर्ग मी. (48.09 प्रतिशत) के क्षेत्र पर पहले से ही 75 शैड बने हुए थे जिससे नये प्रस्तावित किए गए प्रशासनिक ब्लाक के लिए केवल 348.92 वर्ग.मी. (1.91 प्रतिशत) भूमि रह गई।

सम्बन्धित प्राधिकरणों तथा सांविधिक निकायों से सभी योजनायों को बनाए जाने तथा आवश्यक अनुमोदनों को प्राप्त किये जाने के लिए ₹ 15.76 लाख के शुल्क पर परामर्शदाता की नियुक्ति (अगस्त 2010) की गई लेकिन दि.न.नि. ने भवन निर्माण योजना की मंजूरी नहीं दी क्योंकि दि.रा.ओ.अव.वि.नि.

पिछले अनुमोदित ले-आउट अथवा सम्मिलित योजना को देने में असफल रहा। तथापि परामर्शदाता को उसके शुल्क की अदायगी की गई थी। दि.रा.ओौ.अव.वि.नि. ने दि.न.नि. से अनुमोदन की प्रतीक्षा किए बिना ही निर्माण के लिए एन.आई.टी. को आमंत्रित किया जिसका चौथी बार (सितम्बर 2011) में अन्तिम रूप दिया जा सका था जिसमें से केवल एक ही पार्टी को तकनीकी रूप से योग्य पाया गया तथा ₹ 10.38 करोड़ पर ठेका सौंपा गया था। हांलाकि अनुमोदित ले-आउट प्लान के अभाव में निर्माण शुरू नहीं किया जा सका था, जिसके परिणाम स्वरूप, दि.रा.ओौ.अव.वि.नि. को दिया गया ठेका (मई 2013) विखंडित हो गया।

लेखापरीक्षा ने यहाँ यह भी देखा कि परामर्शदाता की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं थी तथा परामर्श पर किया गया व्यय परिहार्य था। दि.रा.ओौ.अव.वि.नि. ने जवाब (जनवरी 2014) दिया कि परामर्शदाता की नियुक्ति किसी भी परियोजना को आरंभ किए जाने से पूर्व की आवश्यकता होती है तथा जो मुख्य वास्तुलिपि, न.दि.न.पा. तथा योजना तथा वास्तुलिपि स्कूल के संकाय को सम्मिलित करते हुए ज्यूरी द्वारा अनुमोदित परामर्शदाता की विचारधारा के आधार पर परियोजना को बनाया जाता है। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दि.रा.ओौ.अव.वि.नि. ने तथ्यों को जानते हुए भी परामर्शदाता की नियुक्ति की थी कि मा.प्ला.दि. 2021 के अनुसार परियोजना के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं थी तथा ज्यूरी के संबंध में, इनके सदस्यों की नियुक्ति बोलीकर्ताओं की केवल तकनीकी योग्यता का निर्धारण करने हेतु होती है तथा न कि मा.प्ला.दि.-2021 के अनुसार अपेक्षित के भूमि के निर्धारण के लिए।

#### 4.1.9 समुदाय कार्य केन्द्र (सीडब्ल्यूसी)

निदेशक मण्डल ने 29 मार्च 2007 को आयोजित की गई बैठक में 29 सीडब्ल्यूसी में से दो स्थलों के नवीनीकरण के कार्य को अपने स्वयं की निधि से जिसकी भरपाई बाद में इसकी स्वयं की प्राप्तियों से की जाती, अनुमोदित किया। लेखापरीक्षा में देखा गया कि:

##### 4.1.9.1 दोषपूर्ण संविदा प्रबन्धन परिहार्य देयता का कारण बना

सीमापुरी पर सी.डब्ल्यू.सी. के आधुनिकीकरण का कार्य ₹ 12.22 करोड़ की निविदा दर पर मैसर्स रामा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को सौंपा गया था। कार्य को स्वीकार तथा आरम्भ किये जाने के लिए पत्र जारी (जनवरी 2008) कर दिया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- यहाँ ब्यौरेवार संरचनात्मक ड्राईंग्स के बनाए जाने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति किए जाने से पूर्व तथा दि.न.नि. से अनुमोदित भवन निर्माण योजनाओं को प्राप्त किये बिना कार्य को सौंपा जाना अभिलेखों में न्यायोचित नहीं थे,
- वैट तथा टी.डी.एस. के कारण कटौती की गई राशि के लिए ठेकेदार को वापिस किए जाने वाले दावे की स्वीकृति नियमानुसार नहीं थी। वैट आयुक्त तथा आयकर नियमों के आदेशानुसार इसे दिए गए अग्रिम से कटौती की जाती है, तथा
- इसके अतिरिक्त ठेकेदार मध्यस्थ के पास चला गया जहाँ उसकी 9 प्रतिशत की दर पर व्याज को सम्मिलित करते हुए ₹ 1.34 करोड़ का दावा दि.रा.ओौ.अव.वि.नि. द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण योजना को समय से अनुमोदित किए जाने में विफल होने के कारण स्वीकार कर लिया गया था।

प्रबन्धन ने कहा (जनवरी 2014) कि यदि किसी कारण से परियोजनाएं रद्द हो जाती तो उससे होने वाली अन्ततः हानि को टालने के लिए ठेकेदार की नियुक्ति कार्य सौंपे जाने के पश्चात की गई थी।

संरचनात्मक ड्राईग्स बनाने का कार्य परामर्शदाता को सौंपा गया तथा इसके अनुमोदन की कार्यवाही आई.आई.टी. दिल्ली तथा आई.आई.टी. रुड़की द्वारा की गई थी। दि.रा.ओ.अव.वि.नि. ने कहा कि यह उच्च न्यायालय में मध्यस्थ को कार्य सौंपने को चुनौती दी गई थी, क्योंकि कार्य को रद्द नहीं किया गया था, बल्कि इसे ठेकेदार द्वारा छोड़ दिया गया था।

#### **4.1.10 राष्ट्रीय आभूषण संस्थान**

दि.रा.ओ.अव.वि.नि. ने एक रत्न तथा आभूषण पार्क बनाए जाने का निर्णय (2002) लिया। राष्ट्रीय आभूषण डिजाईन एवम प्रौद्योगिकी संस्थान का पंजीकरण अक्टूबर 2005 में सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत 'लाभ से निरपेक्ष संगठन' के रूप में किया गया जिसका उद्देश्य उद्योग के लिए अत्यन्त प्रशिक्षित एवम् कुशल मानव संसाधन अविरल गति से उपलब्ध कराना था जोकि आधुनिक आभूषण के उत्पादन में तकनीकी रूप से निपुण हो। यह संस्थान आभूषण डिजाईन तथा रत्न-ज्ञान का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है तथा इनकी जाँच किए जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराता है।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि वर्ष 2005-13 के दौरान नामांकित विद्यार्थियों की संख्या केवल 13 से 57 के बीच की थी और वर्ष 2011-13 के दौरान प्रयोगशाला में केवल एक सोने के टुकड़े का परीक्षण किया गया था। कुल प्राप्त किया गया अनुदान ₹ 10.84 करोड़ का था जिसके विरुद्ध ₹ 11.65 करोड़ का उपयोग किया गया था (2002-2013 के दौरान प्राप्त किए गए अनुदान पर ब्याज के द्वारा अंशतः पूर्ति)। संस्थान को 2011-12 तक ₹ 3.20 करोड़ की संचित हानि हुई थी।

दि.रा.ओ.अव.वि.नि. ने लेखापरीक्षा बिन्दुओं को स्वीकार किया (जनवरी 2014)।

#### **4.1.11 दिल्ली एम्पोरियम—‘भारती’**

दि.ओ.रा.अव.वि.नि. ने हैन्डलम तथा हैन्डीक्राफ्ट्स कारीगरों तथा अन्य छोटे ठेकेदारों के उत्पादनों को प्रोत्साहन देने के लिए ‘भारती’ दिल्ली एम्पोरियम खोला।

दि.रा.ओ.अव.वि.नि. ने दिल्ली एम्पोरियम के नवीकरण का फैसला लिया (अक्टूबर 2011)। लेखापरीक्षा में देखा गया कि नवीनीकरण के लिए कोई अनुमान नहीं बनाए गए थे। 2004-05 में की गई पूर्व नवीकरण कार्य की ₹ 145.37 लाख की लागत से लागत अनुमानों को लिए जाने का निर्णय लिया गया था। यह भी देखा गया कि नवीकरण की लागत को भविष्य में होने वाली ग्राहकों की बढ़ोतरी तथा आय से वसूल किया जा सकता था।

खुली निविदा प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् दिल्ली भारती एम्पोरियम ने मैसर्स क्रिएटिव आई.एन.सी. को बाहरी तथा आन्तरिक डिजाईन व नवीकरण के लिए ₹ 1.63 करोड़ का ठेका सौंपा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य सौंपने के लिए, वित्त मंत्रालय भा.स. के दिशा निर्देशों में (परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए मैनुअल की क्रियाविधि) के अनुसार 70:30 प्रतिशत के मानकों के प्रति तकनीकी तथा वित्तीय पात्रता को 80:20 प्रतिशत महत्व देते हुए निर्धारित किया गया।

दि.रा.ओ.अव.वि.नि. ने जवाब (जनवरी 2014) दिया कि वेन्डर को योजना टर्नकी आधार पर दी गई थी जो कार्य को डिजाईन तथा कार्यान्वयन कर सकता था इसलिए परियोजना के परिकलन तथा कार्यावन्यन बेमेल नहीं थे। तकनीकी बोली में दिए गए स्कोर प्रतिशतात्मक आधार पर नहीं होने चाहिए थे तथा संयोगवश बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोली कम थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुमानित लागत के ब्यौरे को भी टर्नकी बेसिस पर बनाया जाता है।

#### 4.1.12 पी.पी.पी. परियोजना के लिए वार्षिकी पर अतिरिक्त व्यय

रा.रा.क्षे.दि.स. ने मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन (आई डी एफ री) को निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने हेतु स्वीकृति पत्र (दिसंबर 2008) के अनुपालन में परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया (जनवरी 2009)।

- विभिन्न अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तृत विश्लेषण तथा अन्तराल विश्लेषण, नरेला, पटपड़गंज, ओखला तथा बवाना औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को समझना तथा आर्थिक व्यवहार्यता का निर्धारण करना,
- प्रत्येक चिह्नित औद्योगिक क्षेत्र के लिए विस्तृत अवसंरचनात्मक ब्लू प्रिंट तैयार करना,
- पी.पी.पी. मॉडल में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु प्रारंभिक औचित्य अध्ययन तैयार करना,
- प्रत्येक सुविधा के कार्यान्वयन के लिए निजी क्षेत्र के पार्टनर के चयन के लिए निविदा तथा संविदा दस्तावेज तैयार करना और
- रा.रा.क्षे.दि.स. को छूटकर्ता तथा वित्तीय समायन के चयन में सहायता करना

उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु दि.रा.औ.अव.वि.नि. द्वारा संबंधित प्राधिकारियों से संबंधित सूचना प्राप्त करने में परामर्शदाता की सहायता और प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराना, दैनिक अन्योन्यक्रिया तथा गतिविधियों की मॉनीटरिंग की जानी थी। परामर्शदाताओं ने अपग्रेड ऑपरेट मेनेटेन ट्रांसफर (यू.ओ.एम.टी) की रुपरेखा के अन्तर्गत औचित्यता अध्ययन तीन परियोजनाओं (i) ओखला, (ii) पटपड़गंज, (iii) बवाना तथा नरेला के लिए स्वतंत्र रूप से किया तथा आठ महीनों की कुल सूचित समय अनुसूची के प्रति वित्तीय मूल्यांकन निर्धारण प्रस्तुत किया (अप्रैल 2011)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि परामर्शदाता ने 15 वर्षों से अधिक बवाना तथा नरेला परियोजना लागत को क्रमशः ₹ 90 करोड़ तथा ₹ 130 करोड़ पर प्रक्षेपित किया। अवधि के लिए राजस्व रिक्तिता बवाना के लिए ₹ 10 करोड़ प्रति वर्ष (8:13 प्रतिशत का आई.आर.आर.) तथा नरेला के लिए ₹ 21 करोड़ प्रति वर्ष (9.13 प्रतिशत का आई.आर.आर.) प्रक्षेपित की गई जिसकी दि.रा.औ.अव.वि.नि. द्वारा वार्षिकी तौर पर पूर्ति करनी थी।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने 15 वर्षों की रियायती अवधि के साथ यू.ओ.एम.टी. आधार पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड़ पर बवाना तथा नरेला औद्योगिक राज्य के उन्नतिशील तथा पुनर्विकास के लिए 'प्रस्ताव हेतु निवेदन' (आर.एफ.पी.) को आमंत्रित (मार्च 2011) किया। परामर्शदाता द्वारा मसोदे का मूल्यांकन करने के उपरान्त (मई 2011) परियोजना को दो सबसे न्यूनतम फर्म (एल-ए) मैसर्स पी.एन. सी.दि.औ. इन्फ्रा प्रा.लि. एवं मेसर्स बवाना अवसंरचना विकास लिमिटेड और दि.रा.औ.अव.वि.नि. के बीच ₹ 21.50 करोड़ की वार्षिकी पर नरेला तथा ₹ 7.48 करोड़ की वार्षिकी पर बवाना के लिए रियायती समझौता (जुलाई 2011) हुआ था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- रा.रा.क्षे.दि.स. ने बवाना एवं नरेला में औद्योगिक सम्पदा के विकास, प्रचालन व राजस्व वसूली के लिए 30 वर्षों की रियायती अवधि हेतु विशेष प्रयोजन बाहन (एसपीवी) में दि.रा.औ.अव.वि.नि. के 26 प्रतिशत हिस्सेदारी को अनुमोदित किया (3 मार्च 2010)। हालांकि, दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने परियोजना को 15 वर्षों के लिए आबंटिट किया तथा बवाना के लिए मेसर्स बवाना इन्फ्रा विकास प्रा.लि. और नरेला के लिए मेसर्स पी एन सी दिल्ली औद्योगिक इन्फ्रा प्रा.लि. के द्वारा 100 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी गई, जिसके लिए रा.रा.क्षे.दि.स. का अनुमोदन उनके अभिलेखों में नहीं पाया गया था।
- परामर्शदाता ने ₹ 145.39 करोड़ के बजाय ₹ 161.98 करोड़ का कैपेक्स लेना स्वीकार किया, प्रथम वर्ष (2011-12) की रियायती अवधि में 90 प्रतिशत के वास्तविक के प्रति 58.60 प्रतिशत का अधिभोग किया गया था, तीसरे वर्ष में मासिक सांविधिक देयों के संग्रहण दक्षता को 60 प्रतिशत के रूप में लिया गया, जो (वार्षिकी प्रारम्भ तिथि से प्रथम दो वर्षों के लिए सांविधिक देय भुगतान योग्य नहीं थे) कि स्वयं दूसरे वर्ष में 90 प्रतिशत की अधिभोग दर के आगे पीछे नहीं था।
- नरेला के लिए, परियोजना आई आर आर ने परामर्शदाता के द्वारा तैयार किए गए 9.13 प्रतिशत के स्थान पर 14.89 प्रतिशत परिकलित किया। बवाना परियोजना के लिए परामर्शदाता के द्वारा वार्षिकी की विस्तृत गणना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।
- यद्यपि ठेके के सौंपे जाने के 27 माह बाद (अक्टूबर 2013) भी, दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने रियायती समझौते की धारा 11.7 के अनुसार स्वयं अथवा प्रतिनिधियों के माध्यम से रियायतग्राहियों के बहीखातों का लेखापरीक्षा नहीं संचालित कराया था। इस प्रकार, परियोजना पर रियायत ग्राहियों के द्वारा कार्यान्वित किए गए निर्माण कार्य को लेखापरीक्षा में मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, कम्पनी को अंतिम प्रतिवेदन की विचारणीय तिथि के समाप्तन पर परामर्शदाता को ऑकड़े उपलब्ध कराना चाहिए थे, परामर्शदाता को यथार्थवादी पूर्वानुमान तैयार करना चाहिए था एवं 9.13 प्रतिशत की परियोजना आई आर आर को ₹ 21.50 करोड़ प्रतिवर्ष के स्थान पर ₹ 14.90 करोड़ के वार्षिकी भुगतान के साथ प्राप्त किया जाना चाहिए था। परिणामी अशुद्ध प्रक्षेपकों ने 15 वर्षों से वास्तविक आवश्यकता से अधिक ₹ 91.5 करोड़ भुगतान करने हेतु दि.रा.औ.अव.वि.नि. पर परिहार्य संविदागत दायित्व को आरोपित किया था।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने बताया (जनवरी 2014) कि 58.90 प्रतिशत का अधिभोग दर वर्ष 2009 में परामर्शदाता को उपलब्ध कराए गए ऑकड़ों पर आधारित था। संग्रहण दक्षता स्टेकहोल्डरों की राय एवं पूर्व-बोली सम्मेलन में इच्छुक बोलीकर्ताओं के सरोकार के आधार पर शुरूआती वर्षों में कम रखा गया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परामर्शदाता ने अप्रैल 2011 में अपनी रिपोर्ट दि.रा.औ.अव.वि.नि. के द्वारा वर्ष 2009 में उपलब्ध कराए गए ऑकड़ों के आधार पर सौंपा था जबकि मई 2011 में वास्तविक अधिभोग स्वयं पहुँचकर 90 प्रतिशत हो गया था।

#### 4.1.13 मानव संसाधन प्रबन्धन

मानव संसाधन संगठन एक निश्चित समय के दौरान गतिविधियों के निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। 2008-13 के दौरान स्वीकृत पद तथा कार्मिक स्थिति तालिका 4.2 में दी गई है:

**तालिका 4.2  
स्वीकृत पद तथा कार्मिक-स्थिति (समस्त)**

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
स्वीकृत पद	1,732	1,593	985	1,493	1,491
कार्मिक स्थिति	1,246	1,206	821	1,042	1,019

##### (ii) स्वीकृत पद तथा कार्मिक स्थिति (ए तथा बी वर्ग)

	स्वीकृत		कार्मिक स्थिति	
	क	ख	क	ख
2008-09	220	157	168	99
2009-10	156	182	160	103
2010-11	158	217	148	94
2011-12	156	216	151	79
2012-13	156	216	153	75

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की प्रतिशतता बढ़ी हुई प्रवृत्ति को दर्शा रही थी जबकि दि.रा.औ.अव.वि.नि. के अपने ग्रुप ए स्टाफ की संख्या घटकर कुल अफसरों की संख्या का 50 प्रतिशत हो गई थी। प्रतिनियुक्ति पर लाए गए अधिकारी एक लम्बी अवधि की इंजीनियरिंग परियोजना का कार्य कर रहे थे।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने कहा (जनवरी 2014) कि वरिष्ठ परियोजना प्रबन्धकों के पदों को अन्य संस्थानों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्मिकों को बुलाकर भरा जा रहा है जिससे निगम को भारी संख्या में सौंपे गए कार्य कार्यान्वयन हो सके।

#### 4.1.13.1 मानव संसाधन नीति का अभाव

दि.औ.रा.अव.वि.नि. ने न तो कोई परिभाषित मानव संसाधन नीति को तैयार किया न ही कोई दीर्घावधि तथा मध्यावधि जनशक्ति योजना बनाई थी। दि.औ.रा.अव.वि.नि. दिल्ली औद्योगिक राज्य विकास निगम लिमिटेड (स्टाफ सर्विस) नियमावली, 1978 में दिए स्टाफिंग मानकों का अनुसरण कर रही थी। जैसाकि यह नियमावली 35 वर्ष पहले बनाई गई थी, इसके बहुत से नियम परिवर्तित हो रहे व्यवसायिक परिवेश के साथ पुराने हो चुके थे। दि.औ.रा.अव.वि.नि. ने कहा (जनवरी 2014) कि दि.औ.रा.अव.वि.नि. कर्मचारी सेवा नियम, 1978 संगठन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसे और जब भी प्रबंधन को आवश्यकता महसूस हुई है, तो बदलते व्यावसायिक परिवेश के अनुसार आवश्यक संशोधन किए गये हैं। फिर भी, दि.औ.रा.अव.वि.नि. ने आश्वासन दिया कि मानव संसाधन नियमों की समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा दी गई सलाह को ध्यान में रखा जाएगा।

#### 4.1.14 आंतरिक नियन्त्रण

प्रतिवेदन में जैसा कि अन्यत्र उल्लेख किया गया था दि.रा.औ.अव.वि.नि. में प्रचालनों की प्रभावकारिता के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा लागू किए कानून व अधिनियम कमज़ोर पाए गए जिनके लिए उचित आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए आंतरिक नियन्त्रण डिजाईन किया गया था।

## **अध्याय—4 निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन-देन लेखापरीक्षा**

लेखापरीक्षा में देखा गया कि दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, कवरेज तथा सीमावधि को निर्धारित नहीं किया था। वह 2008-09 तथा 2011-12 के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए चार्टड एकाउंटेंट की सेवाओं का उपयोग किया गया।

### **निष्कर्ष**

कम्पनी का निष्पादन इसके अध्यादेश के संबंध में इष्टतम नहीं था। दि.रा.औ.अव.वि.नि. निगम के पास अपने ई. पी. एफ. ट्रस्ट में अविवेकपूर्ण निर्णयों के कारण बहुत अधिक देयताएं थी। दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए परामर्शदाताओं को लगाया परन्तु तकनीकी रूप से उनकी सिफारिशों की जाँच नहीं की जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य वित्तीय निहितार्थ थे। अनुमोदित ले-आउट योजनाओं तथा संरचनात्मक ड्राइंग्स की उपलब्धता के सम्बन्ध में के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल के प्रावधानों की गैरअनुपालना के परिणामस्वरूप विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन में संविदाओं का समय से पहले बन्द हो जाना, परियोजनाओं को रोकना तथा उनमें रुकावटें हुई। कम्पनी को अपने ऊपर गलत प्रक्षेपणों के लगाए जाने के कारण परिहार्य संविदात्मक देयताओं को उठाना पड़ा। दि.रा.औ.अव.वि.नि.ने न तो पारिभाषित मा.स. नीति बनाई और न ही दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन जनशक्ति योजनाएँ बनाई जिसके कारण उपलब्ध मानव संसाधनों का गैर-इष्टतमीकरण हुआ। आंतरिक नियन्त्रण प्रक्रियाएं अपने आकार तथा प्रचालनों के परिमाणों के अनुरूप नहीं की गई थी।

### **सिफारिशें**

कम्पनी को चाहिए कि:

- ❖ निर्माण कार्यों के निष्पादन में रुकावटों को रोकने के लिए निर्माण के ठेकों के सभी स्तरों पर के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करें;
- ❖ उचित प्रक्षेपणों को बनाने हेतु सभी परामर्शदाताओं को समय पर तथा उचित आंकड़े पहुंचाने को सुनिश्चित करें;
- ❖ अपने संशोधनों का इष्टतम उपयोग करने हेतु मानवीय संसाधन नीति की समीक्षा की जाए; तथा
- ❖ आन्तरिक नियन्त्रणों तथा प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करें।

उक्त मुद्दों को प्रबन्धन तथा सरकार को भेजा गया जबकि प्रबन्धन का उत्तर प्राप्त हुआ और उनके विचार रिपोर्ट में सम्मिलित किये गए हैं, सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 2014)।

## लेन—देन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

### सरकारी कम्पनियाँ

#### 4.2 दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड

##### 4.2.1 सम्पत्ति कर की वसूली न होने से घाटा

दिल्ली हाट, पीतमपुरा में संविदाकार से आच्छादित पार्किंग क्षेत्र को सम्पत्ति कर वसूल न किए जाने के कारण ₹ 51.43 लाख की हानि।

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने अक्टूबर, 2007 में पीतमपुरा में दिल्ली हाट का निर्माण किया। कम्पनी, दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि के लिए लाइसेंसधारी होने के कारण तथा भूमि व उस पर निर्मित भवन आदि के लिए नगर निगम को संपत्ति कर अदायगी के लिए उत्तर दायी थी, मार्च 2013 तक ₹ 116.91 लाख की राशि का सम्पत्ति कर अदा किया।

कम्पनी ने पार्किंग सेवाएँ संविदाकारों के माध्यम से अक्टूबर 2008 से अनुज्ञाप्त की थीं। समझौतों की शर्तों के अनुसार संविदाकार सम्पत्ति कर/भूमि का किराया/सेवा कर इत्यादि सहित सांविधिक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी ड्यूटी/शुल्क/प्रभार/पार्किंग प्रभार/सांविधिक कर के लिए उत्तरदायी था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह देखा गया कि कंपनी ने संविदाकारों को किराए पर दिए गए पार्किंग क्षेत्र हेतु अक्टूबर 2008 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान ₹ 51.43 लाख का सम्पत्ति कर अदा किया परन्तु इसे लाइसेंसधारी संविदाकारों से वसूल नहीं किया जबकि समझौतों में यह दिया गया था।

कम्पनी ने कहा (जुलाई 2013) कि वि.न.नि. अधिनियम के अनुसार पट्टादाता पर सम्पत्ति कर लगाया जाना चाहिए। इसमें आगे कहा कि संपत्ति कर को संवैधानिक कर नहीं मानना चाहिए।

कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी तथा संविदाकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार संविदाकार किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सम्पत्ति कर/भूमि का किराया/सेवा कर इत्यादि सहित सभी ड्यूटी/शुल्क/प्रभार/पार्किंग प्रभार/सांविधिक कर देय होंगे, जो कि इस मामले में नहीं किया गया। अतः कम्पनी ने अपने समझौतों को प्रवर्तित न करने से संविदाकारों से सम्पत्ति कर की वसूली के मामले पर विचार नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 51.43 लाख की हानि हुई।

यह मामला सरकार को (जुलाई 2013) में भेजा गया था, उसका उत्तर (फरवरी 2014) तक प्रतीक्षित था।

#### **4.2.2 पर्यटन काम्प्लेक्स के परिचालन न होने के कारण निधियों का अवरोधन तथा राजस्व घाटा**

**संचालक के चयन हेतु परामर्शदाता के चयन एवं नियुक्ति में देरी के कारण ₹ 5.67 करोड़ की निधियों का अवरोधन**

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने (जुलाई 2005) कम्पनी के माध्यम से कंगनहेरी में एक पर्यटन काम्प्लेक्स/सुविधा का निर्माण करने की सैद्धान्तिक रूप से अनुमति दी। कम्पनी ने पर्यटन काम्प्लेक्स को सार्वजनिक निजी सहभागिता (सा.नि.सह.) प्रणाली से चलाने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2005)।

अतः कम्पनी ने मार्च 2006 में कंगनहेरी में पर्यटक सुविधा हेतु सिंचाई एंव बाढ़ नियंत्रण विभाग (सि.बा. नि.वि.) से 10 वर्षों के लिए पट्टे पर ₹ 11.44 एकड़ भूमि ली। उक्त भूमि के लिए भूमि किराया ₹ 1 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष था, जो 10 वर्षों अर्थात् मार्च 2006 से मार्च 2016 के लिए ₹ 4.63 लाख निकल कर आया।

कंगनहेरी में पर्यटन काम्प्लेक्स के निर्माण व विकास का कार्य ₹ 5.27 करोड़ की लागत पर सितम्बर 2010 में पूरा हुआ। तत्पश्चात् कम्पनी ने कंगनहेरी में पर्यटन काम्प्लेक्स के प्रचालन, रखरखाव, प्रबंधन तथा हस्तांतरण हेतु निजी संचालकों के चयन में कम्पनी की सहायता हेतु मेसर्स फीड बैक इन्कास्ट्रक्चर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड (परामर्शदाता) को नियुक्त (अगस्त 2012) किया।

यह देखा गया कि कम्पनी ने निजी संचालक के चयन में कंपनी की सहायता हेतु परामर्शदाता को नियुक्त करने में दो वर्ष लगाए जो कि नवम्बर 2013 तक नियुक्त नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप न केवल ₹ 5.27 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ, बल्कि पिछले दो वर्षों अर्थात् अप्रैल 2011 से मार्च 2013 के दौरान कॉम्प्लेक्स के रखरखाव पर ₹ 40.27 लाख का अपव्यय भी किया।

कम्पनी ने बताया (मई 2013) कि सि.बा.नि.वि के साथ कंगनहेरी के लिए समझौता मार्च 2016 तक वैध था और वह इसे कम से कम 20 वर्षों की अवधि हेतु लाइसेंस बढ़वाकर पाने की कोशिश कर रही है ताकि परियोजना हेतु समुचित प्रचालन योजनाएँ तैयार की जा सकें और कम्पनी द्वारा किया गया निवेश वसूला जा सके। कम्पनी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कम्पनी के पास अपने निवेश की वसूली के लिए मात्र दो ही वर्ष बचे।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2013) कि कंगनहेरी परियोजना को निकटवर्ती छावला परियोजना से पृथक संस्था के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अलग से कंगनहेरी की न तो उत्पत्ति हुई न ही वह वहनीय हुई तथा पट्टा अवधि का विस्तारण प्रक्रियाधीन है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनों ही परियोजनाओं की उत्पत्ति एवं क्रियान्वयन एक साथ नहीं किया गया।

#### **4.2.3 दिल्ली विधान सभा में कैंटीन चलाने में ₹ 1.44 करोड़ की हानि**

**औपचारिक करार तथा किसी भी लागत लाभ के विश्लेषण के अभाव में दिल्ली विधान सभा में कैंटीन के परिचालन तथा प्रबन्धन में ₹ 1.44 करोड़ की हानि हुई।**

कम्पनी ने, सचिव दिल्ली विधान सभा (सचिवालय सभा) के निवेदन पर 10 सितम्बर 2007 से बैठकों के दौरान एम.एल.ए. वी.आई.पी. एवं अफसरों को सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए विधान सभा कैंटीन

का परिचालन तथा प्रबन्धन लिया। निवेदन में आगे यह कहा गया था कि कम्पनी दरों को उसी समान रखेगी जैसी दिल्ली सरकार सचिवालय की कैंटीन में प्रभारित की जाती थीं।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि कैंटीन सेवाएँ बिना किसी लागत विश्लेषण के एवं विधान सभा सचिवालय के साथ औपचारिक करार अथवा समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किए बिना आरंभ कर दी गई। कम्पनी कैंटीन संचालन में केवल कच्चे माल की लागत ही वसूल कर पाने में सक्षम थी एवं अन्य सभी कर्मचारी लागत एवं प्रशासनिक खर्च संचालन के द्वारा प्रतिपादित नहीं हो पा रहे थे।

कम्पनी ने सितम्बर 2007 से मार्च 2013 तक की अवधि के दौरान ₹ 1.44 करोड़ की हानि वहन की। कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सतत हानि पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए कम्पनी को (सितम्बर 2011) निर्देश दिए कि कम्पनी द्वारा हुई हानि को वापिस किया जाए तथा विधान सभा सचिवालय से मांग की जाए कि कैंटीन को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (का.प्र.नि.) की मार्गदर्शिका के अनुसार चलाया जाए, जिसमें विफल रहने पर कैंटीन सेवाओं की समाप्ति के लिए 60 दिनों का नोटिस जारी किया जाए। बोर्ड का निर्णय विधान सभा सचिवालय को अक्टूबर 2011 में सूचित कर दिया गया। विधानसभा सचिवालय प्रत्याशित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमत (सितम्बर 2013) हुआ। बशर्ते कम्पनी कैंटीन सेवाओं की परिचालन लागत का मूल्यांकन प्रस्तुत करेगी एवं इस के लिए समझौता हस्ताक्षरित करेगी।

इस प्रकार कम्पनी, परिचालन को बन्द करने के सामयिक निर्णय लेने में असफल रही, जबकि कम्पनी कैंटीन चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं थी एवं परिचालन में वहन की गई हानि सरकार द्वारा वापिस नहीं की जाएगी।

मामला सरकार को (सितम्बर 2013) भेजा गया था, उत्तर (फरवरी 2014) प्रतीक्षित था।

#### 4.3 इन्द्रप्रस्थ विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड

##### 4.3.1 डिस्कॉम्स को अनावश्यक वित्तीय लाभ देने के कारण निधियों का अवरोधन तथा उसके परिणामस्वरूप ब्याज की हानि

अग्रिम आयकर भुगतान की वसूली में देरी के कारण कम्पनी की निधियों का अवरोधन हुआ तथा कम्पनी को ₹ 6.42 करोड़ के ब्याज की हानि हुई प्रमुख रूप से डिस्कॉम्स को अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) विद्युत उत्पादन और इसका विक्रय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विद्युत वितरण अनुज्ञाप्ति धारियों (डिस्कॉम्स) अर्थात् बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) एवं टाटा पावर दिल्ली वितरण लिमिटेड (टीपीडीडीएल) को करती है। यह कम्पनी नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को भी विद्युत आपूर्ति करती है।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) उत्पादन टैरिफ विनियमों (विनियमों) के खण्ड 6.24 एवं 6.28 यह प्रतिबन्धित करता है कि उत्पादक कम्पनी के उत्पादन व्यवसाय पर आयकर व्यय माना जाएगा और इसके लाभार्थियों, अर्थात्, डिस्कॉम (बीआरपीएल, बीवाईपीएल, टीपीडीडीएल एवं एनडीएमसी) से वसूल किया जाएगा। इस प्रकार की

वसूली उत्पादक कम्पनी द्वारा लाभार्थियों से प्रत्यक्षतः वसूल की जाएगी और वह भी डीईआरसी के समक्ष बिना किसी आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए। यदि आयकर के कारण दावा की गई धनराशि के संबंध में कोई आपत्ति होती है तो लाभार्थियों को सबसे पहले कम्पनी को भुगतान करना था और उसके बाद इसके निर्णय हेतु आयोग के समक्ष समुचित आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना था। विनियमों के खण्ड 6.25 में आगे यह भी उपबंध है कि यदि आय पर कर की कम अथवा आधिक्य की वसूली हुई है तो प्रत्येक वर्ष सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा प्रमाणित आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आयकर निर्धारण के आधार पर समायोजन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि कम्पनी ने सितम्बर 2011, दिसम्बर 2011, मार्च 2012 तथा जुलाई 2012 में अपनी स्वयं की निधियों में से लाभार्थियों की ओर से ₹ 107.10 करोड़ का अग्रिम कर और स्वनिर्धारित कर का भुगतान किया। हालाँकि कम्पनी ने उपर्युक्त कर के भुगतान के बाद लाभार्थियों से वसूली के लिए तत्काल कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया। वर्ष 2011-12 के लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात ही कम्पनी (अक्टूबर 2012) ने लाभार्थियों से (बीआरपीएल. ₹ 46.06 करोड़, बीवाईपीएल. ₹ 30.41 करोड़, टीपीडीडीएल. ₹ 30.35 करोड़ तथा एनडीएमसी. ₹ 0.28 करोड़)। वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 107.10 करोड़ के आयकर की मांग की थी। टीपीडीडीएल एवं एनडीएमसी ने दावा किए गए आयकर का भुगतान कर दिया था जबकि बीआरपीएल एवं बीवाईपीएल ने उसका अभी तक (फरवरी 2014) भुगतान नहीं किया है।

अतः कम्पनी जो कि अपनी चालू पूँजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उधारी पर निर्भर थी, ने डिस्कॉम्स को आयकर भुगतान (अग्रिम कर एवं स्व-निर्धारण कर) के दावों को देर से प्रस्तुत कर अनुचित लाभ पहुँचाया। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी की निधियों में 63 से 383 दिनों की अवधि हेतु 107.10 करोड़ की धनराशि का अवरोधन हुआ, जिसके कारण कम्पनी को ₹ 6.42 करोड़ के व्याज की हानि हुई।

कम्पनी ने (नवम्बर 2013) उत्तर दिया कि विनियम बिलिंग के मासिक या वार्षिक समय को निर्धारित नहीं करते एवं विनियम के अन्तर्गत आयकर के दावे सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्रमाणन द्वारा समर्थित किए जाने थे। लेखों और कर लेखा परीक्षा के अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् उसका प्रमाण-पत्र सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त किया गया और बिलों को डिस्कॉम्स को बिना देरी के अग्रेषित किया गया। उन्होंने आगे यह भी बताया कि डी ई आर सी ने स्पष्ट किया (नवम्बर 2009) कि कर वार्षिक आधार पर वसूली योग्य थे।

सांविधिक लेखा परीक्षकों से लेखों के प्रमाणन के संबंध में कम्पनी का दावा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विनियमों के अनुसार कम्पनी द्वारा प्रत्यक्षतः भुगतान किए गए आयकर की वसूली लाभार्थियों से करनी चाहिए थी और यदि भुगतान के संबंध में कोई आपत्ति थी तो लाभार्थियों को कम्पनी के भुगतान करने के पश्चात् आयोग के समक्ष अपील करनी थी। इस प्रकार वसूली के लिए बिलों को प्रस्तुत करने के लिए प्रमाणन की आवश्यकता नहीं थी पर लाभार्थियों से कर की वसूली सम्पन्न करने के लिए अपेक्षित थी। और आगे कम्पनी के द्वारा उद्धरित डीईआरसी के स्पष्टीकरण में स्पष्टतया यह बताया गया कि जब-जब व्यय किया जाता है तब-तब कर वसूल योग्य होता है। आय पर कर की कोई भी कम.वसूली

<sup>१</sup>डिस्कॉम्स के प्रति बिल वसूल किए जाने की वार्ताविक दिनांक को आई.पी.जी.सी.एल. द्वारा आयकर के भुगतान की दिनांक से 10 दिनों की अनुमति द्वारा परिकलित किया गया।

अथवा अधिक वसूली को आयकर अधिनियम 1961 के अधीन आयकर निर्धारण के आधार पर प्रति वर्ष समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार, आयकर विभाग को तिमाही भुगतान करने के तुरन्त पश्चात् कंपनी को डिस्कॉम्स के विरुद्ध बिलों को प्रस्तुत करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया।

मामला सरकार को (सितम्बर 2013) में भेजा गया था, उसका उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) था।

#### 4.4 दिल्ली अनु.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड

##### 4.4.1 किराये की हानि

समय पर विवेकपूर्ण निर्णय न लेने के कारण तथा कब्जा न किए गए स्थान के फलस्वरूप कंपनी को ₹ 55.15 लाख के किराया आय की हानि हुई।

दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड (कंपनी/डीएससीएफडीसी) को वर्ष 1983 में दिल्ली के रा.रा.क्षे. में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे अ.जा. समुदाय के कल्याण हेतु सम्मिलित किया गया। कंपनी का कार्यालय राजपुर रोड पर पुराने सचिवालय के कार्यालय भवन में स्थित था जिसमें मात्र दो कमरे थे तथा वे जर्जर अवस्था में थे।

निगम ने अगस्त 1991 में दिल्ली विकास प्राधिकरण से रोहिणी, नई दिल्ली में भूमि क्रय की जिसका भुगतान अगस्त 1991 से जनवरी 1997 की अवधि के दौरान किया गया। इस बीच, निदेशक मण्डल ने, दिसम्बर 1996 में उक्त भूमि पर नए कार्यालय और सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए भवन समूह के निर्माण का निर्णय किया। लो.नि.वि. द्वारा एक सात मंजिला भवन का निर्माण किया गया तथा कंपनी द्वारा इसका कब्जा जनवरी 2002 में ले लिया गया।

कंपनी ने मई 2004 में स्थल के भू-तल, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तल पर कब्जा किया। अन्य तलों (4 से 7वें) को सरकारी विभागों/कंपनियों व स्वायत्त निकायों को किराये पर दे दिया गया था।

लेखापरीक्षा में 2009 में कंपनी द्वारा अधिक स्थान का उपयोग किया जाना इंगित किया गया। कंपनी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और अपने स्टॉफ के लिए स्थान की आवश्यकता का पुनर्निर्धारण किया तथा निर्णय लिया (सितम्बर 2009) कि तीसरे तल के स्टॉफ को प्रथम और द्वितीय तल पर समायोजित किया जा सकता है और तीसरे तल के पूरे क्षेत्र को जो 8,537 वर्ग फीट है, किराए पर उठाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

तीसरे तल के 8,537 वर्ग फीट के पूरे स्थान को किराये पर उठाने के लिए कंपनी ने सितम्बर 2009 में रा.रा.क्षे.दि.स के सभी विभागों को एक परिपत्र जारी किया। उत्तर में उपआयुक्त (उत्तर/पश्चिम जिला) के कार्यालय ने नवम्बर 2009 में 6000 वर्ग फीट प्राप्त करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया परंतु निगम ने इस प्रस्ताव को इस आधार पर विचार नहीं किया कि बचे हुए स्थान को किराये पर उठाने में दिक्कत हो सकती है तथा यह निर्णय लिया गया (नवम्बर 2009) कि पूरे तल को एक साथ ही किराये पर दिया जाए।

साथ ही साथ, अनु.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. सह-अध्यक्ष, डीएसएफडीसी के माननीय मंत्री के फरवरी 2010 में अनुमोदन के पश्चात यह निश्चित किया गया कि कंपनी आधा क्षेत्र दिल्ली को

ऑपरेटिव ट्रिब्यूनल को स्थापित करने के लिये किराये के आधार पर रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटी को आबंटित करेगा तथा आधा क्षेत्र कानून, न्याय, विधायी मामलों के विभाग को दिल्ली विवाद निपटान समिति (डीडीआरएस) को स्थापित करने के लिये आबंटित करेगा। निगम ने सिर्फ 1,468.20 वर्ग फीट अक्टूबर 2010 में कानून विभाग को दिल्ली विवाद निपटारा सोसाइटी (दि.वि.नि.सो.) के लिये और 3,809 वर्ग फीट अप्रैल 2012 में राजस्व विभाग को आबंटित कर दिया। फर्श पर 3259.80 वर्ग फीट का बचा हुआ स्थान निगम द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि समय पर और विवेक से निर्णय न लेने के कारण कंपनी को मार्च 2010 से मार्च 2012 की अवधि के लिए उपयोग न किए गए स्थान के लिए किराये के कारण ₹ 45.76<sup>7</sup> लाख की किराया आय को गंवाना पड़ा। इसके अतिरिक्त कंपनी ने अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक ₹ 9.39<sup>8</sup> लाख के किराया आय की भी हानि उठाई, क्योंकि यह अपनी आवश्यकता से अधिक 3259.80 वर्ग फीट के अतिरिक्त स्थान का उपयोग कर रहा है।

इस प्रकार, समय पर विवेकपूर्ण निर्णय न लेने के कारण कंपनी को ₹ 55.15 लाख (₹45.76 लाख+ ₹ 9.39 लाख) के किराया आय की हानि हुई।

मामला विभाग को (सितंबर 2013) में प्रेषित किया गया, उत्तर प्रतिक्षित था (फरवरी 2014)।

## सांविधिक निगम

### 4.5 दिल्ली परिवहन निगम

#### 4.5.1 अप्राधिकृत कब्जा किए जाने के कारण परिहार्य हानि

**दो स्टाफ कॉलोनियों में स्टाफ क्वार्टर के अप्राधिकृत कब्जा किए जाने के कारण ₹ 53.59 करोड़ की परिहार्य हानि।**

दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.) ने हरी नगर तथा जी.टी. करनाल रोड पर कुल 300 क्वार्टरों की दो स्टाफ कॉलोनियों का निर्माण किया। इन क्वार्टरों को कर्मचारियों को उनकी नौकरी के दौरान उनकी पात्रता अधिकारों के अनुसार उनकी रिहायश के लिए आबंटित किया गया।

300 क्वार्टरों में से, 284 क्वार्टर पूर्व कर्मचारियों तथा पूर्व कर्मचारियों के परिवारों द्वारा मार्च 2013 तक अप्राधिकृत रूप से कब्जा किए हुए थे जिनको उनकी नौकरी की समाप्ति पर आबंटन को निरस्त करने के बारे में सूचित कर दिया गया था तथा कथित क्वार्टरों को खाली कर उनसे कब्जे को सौंप देने के लिए कहा गया था, जो कि (मार्च 2013) नहीं सौंपे गए। पूर्व कर्मचारियों द्वारा स्टाफ क्वार्टर पर अप्राधिकृत कब्जे के कारण, निगम को 31 मार्च 2013 तक ₹ 53.59 करोड़ राशि की संचित हानि हुई। इसके अतिरिक्त बिजली, पानी के कारण मार्च 2013 तक वसूल करने योग्य कुल राशि ₹ 28.55 लाख की थी।

<sup>7</sup> (9½ माह के लिए 8537 व. फीट + 15½ माह के लिए 7068.8 व. फीट) x ₹24 प्रति व. फीट की दर से = ₹45.76 लाख

<sup>8</sup> 3259.8 वर्ग फीट x 12 माह x ₹24 प्रति वर्ग फीट की दर से = ₹9.39 लाख

दि.प.नि. के कर्मचारियों ने श्री एम.पी.माथुर तथा अन्य बनाम दि.प.नि. तथा अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जिसने स्वामित्व अधिकार का मामला दि.प.नि. के पक्ष में निर्णय (24 नवम्बर 2006) दिया था। दि.प.नि. ने पूर्व कर्मचारियों को क्वार्टर खाली करने/ नुकसान का भुगतान करने हेतु एस्टेट ऑफिसर के द्वारा नोटिस जारी किया। जिला न्यायाधीश के न्यायालय में एस्टेट ऑफिसर के आदेशों को चुनौती दी गई, परन्तु उन्हें खारिज कर दिया गया। यद्यपि, यह देखा गया कि फरवरी 2009 में एस्टेट ऑफिसर के आदेश के प्रति पूर्व-कर्मचारियों की अपील के खारिज किए जाने के पश्चात् तथा अप्रैल 2010 में निष्कासन अधिकारी की नियुक्ति के दो वर्षों से भी अधिक समय के बाद भी बेदखली किए जाने तथा क्षति की वसूली किए जाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।

परिवहन विभाग ने फिर भी पूर्व-कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी कड़े उपाय न करने की सिफारिश (अप्रैल 2011) की, जब तक कि सरकार बेदखली के लिए कोई अन्तिम उपाय नहीं करती। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद् ने अपने निर्णय सं. 1898 दिनांक 12.06.2012 द्वारा यह निश्चित किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के महेनजर तथा कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की आवास की जरूरतों को देखते हुए दि.प.नि. के सेवानिवृत कर्मचारियों को दो महीनों के अन्दर क्वार्टरों को खाली करने तथा ऐसा न करने पर उन्हें निष्कासित किए जाने के निर्देश दिए। 31 मार्च 2013 तक भी दि.प.नि. अप्राधिकृत रूप से कब्जा किए हुए क्वार्टरों का कब्जा वापिस लेने में सक्षम नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप 53.59 करोड़ की परिहार्य हानि हुई, इसके अतिरिक्त, कार्यरत कर्मचारियों को भी स्टाफ क्वार्टरों की सुविधा से वंचित रहना पड़ा।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2013) में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से बेदखल किए जाने के कोई निर्देश नहीं दिए गए थे। क्वार्टर्स को खाली कराए जाने तथा देयों की वसूली के लिए विभिन्न उपाय अपेक्षित थे जैसे विरोधी वकील का मत प्राप्त करना, स्टेट ऑफिस के न्यायालय में बेदखली के मामलों को दर्ज किया जाना, एस.डी.एम. के न्यायालय में वसूली का मामला दर्ज किया जाना, प्रत्येक फ्लैट की माह-वार वसूली की संगणना करना जोकि बहुत कठिन प्रक्रिया थी। इसके अतिरिक्त, बेदखली प्रक्रिया के दौरान परिवहन विभाग से बेदखल न कराए जाने के निर्देश थे।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रिपरिषद् ने खाली कराए जाने की कार्यवाही का निर्णय पहले ही (जून 2012) ले लिया था।

मामला सरकार को (सितम्बर 2013) भेजा गया था, उसका उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) था।

**4.5.2 संशोधित आयकर रिटर्न में वापसी का दावा न किए जाने के कारण हानि**

**दि.प.नि. को उसके आयकर विवरणी में टी.डी.एस. रिफन्ड का दावा न किए जाने के कारण ₹ 34.86 लाख की हानि हुई।**

आयकर अधिनियम की धारा 197 में आयकर की छूट के लिए अथवा निम्न दर पर स्रोत पर कटौती हेतु प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है, यदि निर्धारण अधिकारी को न्यायसंगत लगे कि जारी किये गए प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता की कुल आय को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किए गए है। इसके आगे, आयकर अधिनियम की धारा 139 (5) के अनुसार, किसी भी त्रुटि को अथवा गलत विवरणी को जो आयकर विभाग की आयकर रिटर्न में फाईल कर दी गई हो, को निर्धारण वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष के अन्दर अथवा आय निर्धारण पूर्ण होने से पूर्व, जो भी पहले हो, संशोधित रिटर्न के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.) हानि में चल रहा है, इसलिए आयकर अधिनियम 1961 के तहत किसी भी आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। लेखा परीक्षा में देखा गया (जून 2013) कि दि.प.नि. मैसर्स ग्रीन दिल्ली प्रा. लि. (कम्पनी) से दि.प.नि. के बस क्यू शैल्टरों (ब.क्यू.शै.) पर विज्ञापनों को लगाए जाने के अधिकारों के लिए कम्पनी को जुलाई 2007 में दिए गए ठेके पर सुविधा शुल्क<sup>9</sup> प्राप्त कर रही थी। यद्यपि कम्पनी ने आयकर अधिनियम के अपेक्षित प्रावधानों के तहत दि.प.नि. को किए गए भुगतानों से पूर्व उन पर टी.डी.एस. की कटौती कर दी थी, दि.प.नि. आयकर अधिनियम की धारा 197 के तहत, आयकर विभाग द्वारा मैसर्स ग्रीन दिल्ली प्रा.लि. को जारी किया गया प्रमाणपत्र जिसमें, दि.प.नि. को अदा की जाने वाली राशि से आयकर की कटौती अनुज्ञेय नहीं है के लिए छूट का प्रमाण पत्र केवल 8 मई 2008 को प्राप्त कर सकी। जबकि, तब तक 25 मार्च 2008 से 16 अप्रैल 2008 तक की अवधि के दौरान कम्पनी ने टी.डी.एस. (8 मई 2008 तक) के रूप में ₹ 35.23 लाख की कटौती पहले ही कर दी थी।

इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा में अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि दि.प.नि. ने निर्धारण वर्षों 2008-09 तथा 2009-10 के लिए फाईल किए गए अपने आयकर रिटर्न (कम्पनी द्वारा पहले से की गई कटौती) में टी.डी.एस. की राशि का दावा नहीं किया। यहाँ तक कि दि.प.नि. ने ₹ 34.86 लाख<sup>10</sup> के दावे की राशि, जिसकी अन्तिम तिथि क्रमशः 31 मार्च 2010 तथा 31 मार्च 2011 थी, के लिए उनके निर्धारण वर्ष में संशोधित रिटर्न को फाईल नहीं किया।

यद्यपि दि.प.नि. ने ₹ 34.86 लाख की वापसी के लिए आयकर विभाग से पत्राचार किया, परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि उसने संशोधित रिटर्नों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर फाईल नहीं किया था।

<sup>9</sup> ब.क्यू.शै. पर विज्ञापनों के लिए निजी फर्मों को दिए गए अधिकारों के बदले में दि.प.नि. द्वारा प्रभारित किया गया शुल्क।

<sup>10</sup> ₹35.23 लाख में से, 13 अप्रैल 2011 तक ₹36,600 का रिफन्ड प्राप्त किया गया।

प्रबन्धन ने कहा (फरवरी 2014) कि उन्होंने यह निर्णय लिया है कि वे आयकर अधिनियम की धारा 119 (2) (बी) के अन्तर्गत यह मामला उठाएंगे एवं रिफन्ड का दावा करेंगे और इस प्रकार दि.प.नि. अपने आप में ₹ 34.86 लाख की कोई हानि नहीं उठाएगा। उत्तर यूक्तियुक्त नहीं है क्योंकि दि.प.नि. ने दो वर्षों से काटे गए टीडीएस की वसूली के लिए इस मामले को नहीं उठाया तथा केवल अपील दर्ज किया जाना वसूली की गारन्टी नहीं होगा। यद्यपि, इस मामले में, दि.प.नि. द्वारा दर्ज की गई अपील स्वीकार भी कर ली जाती किर भी आई.टी. विभाग में राशि अवरुद्ध रहने से उसको फरवरी 2014 तक ब्याज के रूप में ₹ 14.74 लाख<sup>11</sup> की राशि की हानि हो चुकी है।

मामला सरकार को (अक्टूबर 2013) भेजा गया था, उसका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2014)।

नई दिल्ली

(डौली चक्रबर्ती)

दिनांक: 30 जून 2014

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

#### प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

(शशि कान्त शर्मा)

दिनांक: 1 जुलाई 2014

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

<sup>11</sup> 7.25 प्रतिशत वर्ष के ब्याज की दर पर ₹34.86 लाख पर मई 2008 से फरवरी 2014 तक की संगणना